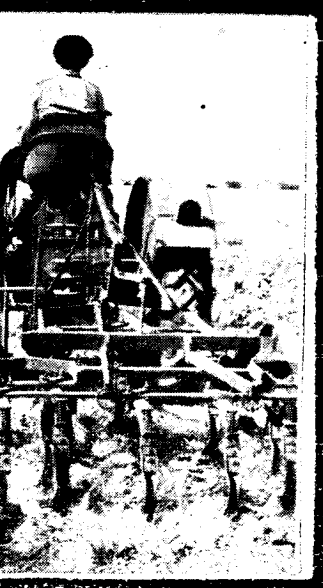

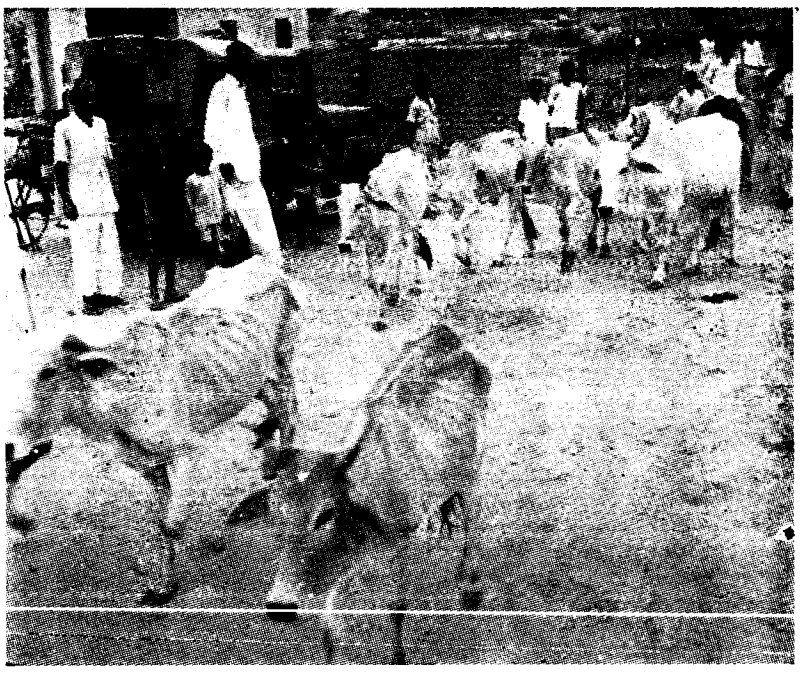

बीकानेर की सघन पशु विकास परियोजना

बलराम दत्त शर्मा

राजस्थान का बीकानेर जिला राठी नस्ल की गायों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नागौर के बैल और बीकानेर की राठी गाएं खरीदने के लिए हर साल अनेकों व्यापारी यहां लगने वाले पशुमेलों में आते है। इसी जिले की दो पंचायत समितियों—बीकानेर तथा लूणकरन में 17 सितम्बर, 1967 से भारत सरकार द्वारा "सघन पशु विकास परियोजना" प्रारम्भ की गई थी।

इस योजना का उद्देश्य पशुओं में दूध की क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छा चारा, उचित पालन पोषण, बढ़िया नस्ल के पशुओं से प्राकृतिक और कृत्रिम गर्भाधान के साधनों का विकास करना है।

मध्य आकार की इस परियोजना के अन्तर्गत एक पशु वीर्य बैंक, दो कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा पचास स्टाकमैन केन्द्र कार्यरत हैं जिनसे 62 हजार गाएं और 12 हजार भैंसें लाभान्वित की जा रही हैं।

इस रेगिस्तानी इलाके के बारे में पुरानी कहावत है कि यहा दूध मिल सकता था, पानी नहीं। पीने के लिए पानी की कमी तो लगभग पूरी तरह दूर हो चुकी है परन्तु यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि इस परियोजना के अन्तर्गत आने वाली केवल दो पंचायत सभितियों में प्रतिदिन एक लाख लिटर दूध का उत्पादन होता है। यदि एक रुपए लिटर के हिसाब से भी दूध की कीमत आंकी जाए तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहां एक दिन में एक लाख रुपए का दूध होता है।

इस परियोजना के चालू होने से दूध उत्पादन में वृद्धि तो हुई है परन्तु दूध की वितरण व्यवस्था अभी पूर्ण नहीं हुई। शीघ्र ही, सड़कों के बन जाने से बड़े पैमाने पर दूध का निर्यात दिल्ली के अतिरिक्त और भी कई नगरों को होने लगेगा। स्वयं दिल्ली दुग्ध योजना जो अब यहां से अधिक मात्रा में दूध ले जाने में अपने को असमर्थ अनुभव कर रही है, पूरा दूध उठा लेने की क्षमता में पहुच जाएगी। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा इस परियोजना के प्रारम्भ से पूर्व सन् 1962-63 में 12,02,640 किलोग्राम, सन् 1963-64 में 19,42,284 किलोग्राम, सन् 1964-65 में 10,15,215 किलोग्राम, सन् 1965-66 में 22,03,873 किलोग्राम और सन् 1966-67 में 26,77,394 किलोग्राम दूध ले जाया गया था। सन् 1967-68 में यह परियोजना प्रारम्भ हुई और उस साल 36,47,324 किलोग्राम दूध दिल्ली योजना ने इस क्षेत्र से उठाया। योजना की कार्यकुशलता से दूध में वृद्धि हो जाने से अब यह स्थिति है कि पूरा दूध दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा ले जा पाना ही सम्भव नहीं हो पा रहा है, फिर भी गत वर्ष 1971-72 में 48,00,185 किलोग्राम दूध इस दुग्ध योजना द्वारा ले जाया गया।

भविष्य में दूध के उचित और समुचित मात्रा में वितरण के लिए परियोजना के अन्तर्गत 80 सहकारी संस्थाओं तथा एक सहकारी संघ का गठन किया गया है।

इस परियोजना पर भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष के अन्त तक 92.08 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं। गाय-भैंसों के गर्भाधान के लिए परियोजना क्षेत्र में 51 बैल और 4 भैंसे उपलब्ध हैं।

परियोजना में उचित चारे के उत्पादन के लिए 17 चारा खेत भी हैं जिनमें से कुछ में सिचाई भी होती है।

परियोजना के बारे में आम लोगों को जानकारी देने और इसका लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के प्रसार निदेशालय, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी तथा कैनेडा के दूतावास द्वारा समय समय पर अनेक फिल्म शो आदि दिखाए गए हैं। परियोजना अधिकारियों द्वारा समय समय पर दस पशु मेलों तथा एक सौ पांच बड़ी प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया और उत्कृष्ट पशुपालकों को पारितोषिक दिए गए।

परियोजना का शीघ्र ही अन्य पंचायत समिति क्षेत्रों तक विस्तार किया जा रहा है।

प्रगति मंजिल

वर्ष 17 भाद्रपद 1894 अंक 11

इस अंक में

	पृष्ठ
बीकानेर की सघन पशु विकास परियोजना **बलराम दत्त शर्मा**	आवरण II
अभाव से आत्म-निर्भरता की ओर **फखरुद्दीन अली अहमद**	2
गांव और पंचायती राज **देवीसिंह नरूका**	5
केरल में बालकों को पोषाहार **भगवत्प्रसाद चतुर्वेदी**	7
देश की खुशहाली का आधार हमारी वन-सम्पदा	9
हरित क्रान्ति (कविता) **कन्हैयालाल शर्मा "ब्रजेश"**	10
बाढ़ के बाद होनेवाले रोग और उनसे बचाव **डा० शिवशंकर भारती**	11
हमारे और इंगलैण्ड के उपभोक्ता भण्डार **अखिलेश अंजुम**	13
श्री अरविन्द की ग्राम-भावना **अशोक**	14
देहाती इलाकों में चिकित्सा सुविधाएं **डा० दुरैस्वामी**	15
नई योजनाएं, नए कदम **त्रिलोकी नाथ**	17
उत्पादन वृद्धि में कृषक चर्चा मण्डलों का योग **ओमप्रकाश मिश्र**	18
बारानी खेती से अधिक उपज कैसे लें ? **गंगाशरण सैनी**	20
जापान की सहकारी समितियां **लक्ष्मण प्रसाद भार्गव**	22
पौध संरक्षण यन्त्रों की सुरक्षा कैसे करें ? **दुर्गाशंकर त्रिवेदी**	23
हिन्दी के विकास में महाराष्ट्र का योग **कृ० गो० वानखड़े गुरूजी**	25
गांव के कुएं पर (रूपक) **ओमप्रकाश गुप्ता**	27
पाठकों की राय **राजेन्द्रसिंह**	31

दूरभाष 382406

एक प्रति 30 पैसे : वार्षिक चन्दा 3.00 रुपए

स० सम्पादक : महेन्द्रपाल सिंह

उपसम्पादक : त्रिलोकी नाथ

आवरण पृष्ठ : बलराम मण्डल

आजादी की वर्दी

उन दिनों जब ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी, खादी के पहनावे को आजादी की वर्दी समझा जाता था। महात्मा गांधी ने राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए जहां सत्य, अहिंसा तथा असहयोग का मार्ग अपनाया वहां आर्थिक स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए स्वदेशी की भावना को भी जगाया। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता जमाते ही यहां के बाजारों में अपने माल को खपाने और यहां के लोगों के शोषण और दोहन से अपनी तिजोरियां भरने के लिए उनके उद्योग धन्धों को चौपट किया और उनकी रोजी रोटी छीनी। यहां तक कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश के बाजारों को अपने माल के विपणनार्थ सुरक्षित रखने के लिए देश के कुशल कारीगरों के हाथ ही कटवा डाले और बहुतों को विदेशों में ले जाकर छोड़ दिया। फिर व्यापार के नाम पर लगभग दो सदी तक ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने इस पुण्य पावन प्राचीन देश की खुलकर लूट की।

पर महात्मा गांधी ने इस तथ्य को पहचाना और दो सौ वर्ष की गुलामी के कारण भारतीय जनता के मन और मस्तिष्क में अपनेपन के प्रति जो हीनता की भावना पैदा हो गई थी उसे स्वदेशी का नारा लगा कर दूर किया तथा लोगों में राष्ट्रीयता, आत्म-सम्मान और आत्म गौरव के भाव भरे। चरखा हमारे आर्थिक युद्ध का प्रतीक रहा। इसका फल यह हुआ कि लोगों में एक नई चेतना आई और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग तथा खादी के पहनावे को सच्चाई, ईमानदारी, त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक समझा जाने लगा। तभी तो लोग उस समय किसी खादीधारी को देखते ही उसके आगे श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते थे और उसे सादगी, सात्विकता, तथा सत्य और अहिंसा का प्रतीक समझते थे। पर आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है और ऐसा लगता है कि हम तन से स्वतन्त्र होते हुए भी मन से पूर्णतया गुलाम हैं। स्वतन्त्रता के इन पच्चीस वर्षों में हमारी स्वदेशी की भावना न जाने कहां चली गई ? हमारा खानपान, रहनसहन, वेशभूषा, बोल-चाल सभी तो विदेशीपन लिए हुए हैं और ग्राह्य, अग्राह्य को सोचे समझे बिना दूसरों का अन्धानुकरण कर रहे हैं।

लेकिन खुशी की बात यह है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस रजत जयन्ती समारोह वर्ष में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने देश में फिर से स्वदेशी की भावना जगाने का बीड़ा उठाया है और एक ऐसी योजना तैयार की है जिससे देश के एक लाख परिवारों को खादी पहनने और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए

शेष पृष्ठ 19 पर]

अभाव से आत्म-निर्भरता की ओर

फखरुद्दीन अली अहमद

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से 25 वर्षों में कृषि में जो प्रगति हुई है उस पर भारत को निश्चय ही गर्व हो सकता है। 25 वर्षों में ऐसे भी मौके आए हैं जब प्रगति हुई है और ऐसे भी मौके आए हैं जब कुछ रुकावटें भी आई हैं लेकिन यदि सरसरी तौर पर देखा जाए तो तस्वीर अच्छी ही नजर आती है। स्वतन्त्रता के बाद का समय खाद्यान्नों के अभाव, कीमतों के नियन्त्रण और राशन का समय था, उस समय हमारे कारखानों के लिए पटसन और कपास भी पूरा नहीं मिल पाता था और आज की स्थिति यह है कि हम काफी आराम से हैं। जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद भी प्रति व्यक्ति उपभोग की दर में वृद्धि हुई है।

यह तो सभी जानते हैं कि खाद्यान्नों की कमी हमेशा रही है। 19वीं शती के अन्तिम चरण में देश में जबर्दस्त अकाल पड़ा था। उसमें मनुष्यों और जानवरों की अपार क्षति हुई थी। वर्तमान शती में भी, 1941 में बर्मा से चावल की सप्लाई बन्द हो जाने से खाद्यान्नों की बेहद कमी महसूस की जाने लगी थी। 1943 में बंगाल में भयंकर सूखा पड़ा। सरकार को एक ओर खाद्यान्नों की सप्लाई को नियन्त्रित करने के लिए कदम उठाने पड़े और दूसरी ओर 'अधिक अन्न उपजाओ' अभियान के द्वारा खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना पड़ा।

1947 में आजादी मिलने के बाद देश के कुल सिंचित क्षेत्र का 30 प्रतिशत भाग पाकिस्तान को चला गया जिसमें अविभक्त भारत की कुल जनसंख्या का 18 प्रतिशत भाग निवास करता था। इससे खाद्यान्नों की कमी और भी बढ़ गई। इसके अलावा पटसन पैदा करने वाले अधिकांश क्षेत्र और कपास पैदा करने वाले उत्तम इलाके भी भारत से अलग हो गए। पटसन मिलों और सूती कारखानों को कच्चे माल की सप्लाई जारी रखने के लिए यह जरूरी हो गया कि देश में कपास और पटसन के उत्पादन को बढ़ाने की चेष्टा की जाए, साथ ही साथ 'अधिक अन्न उपजाओ' अभियान भी जारी रहा।

1951-52 के बाद देश में हर पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता प्राप्त करने और कपास, पटसन, तिलहन तथा गन्ने का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाता रहा है। 1960-61 तक खाद्यान्नों का जो उत्पादन बढ़ा, वह सिंचाई, नई भूमि को खेती योग्य बनाने, खेती के सुधरे तरीके अपनाने, पौध संरक्षण के उपायों पर अमल करने और किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने से बढ़ा है। इसके बाद उत्पादन बढ़ाने के लिए अथक प्रयत्न करने पर जोर दिया जाता रहा है। आरम्भ में, विभिन्न राज्यों में चुने हुए 16 जिलों में सघन कृषि जिला कार्यक्रम (आई० ए० डी० पी०) शुरू किए गए। इसमें उत्तम बीजों, पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों के इस्तेमाल और पौध संरक्षण उपायों पर अमल आदि बातों पर एक साथ ध्यान दिया गया। 1965-66 और 1966-67 के वर्षों में देश में सूखा पड़ने के कारण खाद्यान्नों की बहुत कमी महसूस की गई और उसे दूर करने के लिए कृषि विकास के लिए एक नई नीति तैयार की गई और उस नीति के मुताबिक ही उत्पादन बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयास किए गए।

कृषि विकास की नई नीति के अनुसार कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। खेती में सुधरे किस्म के बीजों का उपयोग किया जाता है, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की जाती है, उर्वरक सही मात्रा में डाले जाते हैं और पौधों को सुरक्षित रखने के उपायों पर अमल किया जाता है। व्यापारिक फसलों के लिए भी सघन खेती कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं। तिलहनों के लिए सोयाबीन और सूरजमुखी की खेती को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।

हमारे प्रयत्नों के फलस्वरूप उत्पादन का क्षेत्रफल काफी बढ़ा है। फसल बोए जाने वाले क्षेत्र में 1947-48 की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1947-48 में बोए जाने वाला क्षेत्र कुल 11 करोड़ 30 लाख हैक्टेयर था जो कि वर्तमान में 17 करोड़ एकड़ है। सभी फसलों के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र लगभग दुगुना हो गया है। पहले सिंचित क्षेत्र 2 करोड़ हैक्टेयर था जो अब 4 करोड़ हैक्टेयर है। सिंचाई के विकास के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है कि इसमें नलकूपों और पम्पसैटों से भूमिगत जल का काफी उपयोग किया गया है। ये नलकूप या पम्प निजी बचत के धन से तथा ऋण देने वाली संस्थाओं की सहायता से लगाए गए हैं। इस क्षेत्र में गत छह वर्षों में बहुत प्रयत्न किए गए हैं। इस अवधि में निजी नलकूपों की संख्या पांच गुनी बढ़कर 5 लाख 70 हजार हो गई है तथा बिजली से चलने वाले पम्पसैटों की संख्या लगभग तिगुनी बढ़कर 19 लाख तक पहुंच गई है।

सुधरे किस्म के बीजों का उपयोग हमारे किसानों में बहुत लोकप्रिय हो रहा है। 1966-67 के बाद से गेहूं और चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों तथा ज्वार, बाजरा और मक्का

की संकर किस्मों के बाजार में आ जाने से बहुत अधिक किसान उत्तम बीजों का उपयोग करने लगे हैं। 1970-71 में अनाजों की अधिक पैदावार देने वाली किस्में 1 करोड़ 80 लाख हैक्टेयर भूमि में बोई गई थीं। गेहूं के अन्तर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के लगभग 30 प्रतिशत में अब गेहूं की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की खेती होती है और इसी प्रकार चावल पैदा करने वाले कुल क्षेत्र के लगभग 20 प्रतिशत भाग में चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्में बोई जाती हैं।

उर्वरकों का उपयोग कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तरीके अपनाए जाने का प्रतीक माना जाता हैं। हमारे देश में 1950-51 में 1 लाख टन से भी कम रासायनिक खादों का प्रयोग होता था। लेकिन व्यापक प्रचार एवं प्रदर्शन के कारण खादों का उपयोग बढ़ा और 1965-66 में 8 लाख टन खाद की खपत हुई। इसके बाद उन्नत बीजों के प्रचार के कारण खादों की खपत और भी बढ़ी। पौध संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाओं का उपयोग भी काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। 1970-71 में 5 करोड़ हैक्टेयर भूमि में पौध संरक्षण के उपाय किए गए।

सघन खेती का आधार विकसित करने में काफी प्रगति हुई है। कृषि प्रसार सेवा का जाल देश भर में फैलाया गया है। कृषि अनुसन्धान और शिक्षा के क्षेत्र में कई गुनी प्रगति हुई है। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि के लिए दी जाने वाली राशि में 30 गुनी वृद्धि हुई है। व्यापारिक बैंकों ने भी कृषि विकास के लिए काफी ऋण देने शुरू कर दिए हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारे सामने बड़ी कठिन समस्याएं हैं और इनका सामना करने के लिए हमने जो संघर्ष छेड़ा, वह भी बहुत कठिन पड़ा। हालांकि 1964-65 तक हमारी वार्षिक प्रगति 3 प्रतिशत की दर से होती रही परन्तु जनसंख्या की वृद्धि और सुनियोजित विकास के फलस्वरूप लोगों की आमदनी बढ़ने और तदनुसार मांग में वृद्धि होने से यह वृद्धि अपर्याप्त रही। लेकिन 1967-68 के बाद से खाद्यान्नों के उत्पादन में जोरदार वृद्धि से इस चुनौती का सामना कर लिया गया। 1947-48 की तुलना में खाद्यान्नों के उत्पादन में 1970-71 में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

स्वतन्त्रता के समय 36 करोड़ से कम लोगों के लिए भी हमारे पास पर्याप्त अनाज नहीं था। आज हमारे पास 55 करोड़ लोगों के लिए भी पर्याप्त अन्न है जो कि 1947 के समय की जनसंख्या से डेढ़ गुने से अधिक है। मजे की बात तो यह है कि प्रति व्यक्ति वार्षिक अन्न की उपलब्धि 1948 में 159 किलोग्राम से बढ़कर अब 170 किलोग्राम हो गई है। अभाव और कमी की समस्या अब खत्म हो गई है। खाद्यान्नों का आयात भी 1960 में 1 करोड़ 4 लाख टन से घटकर 1971 में 20 लाख टन रह गया और अब तो आयात न के बराबर रह गया है। सरकारी खरीद के अन्न से अब लोगों की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। सरकार अपने पास 90 लाख टन अन्न का भण्डार रखती है, इससे अब खाद्यान्न के अभाव की समस्या पास भी नहीं फटकने पाएगी। इससे हमारी आत्म-निर्भरता की स्थिति का पता चलता है।

व्यापारिक फसलों का उत्पादन भी काफी बढ़ा है। कपास का उत्पादन जो 1947-48 में 22 लाख गांठ था, 1971-72 में बढ़कर 60 लाख गांठ हो गया है। इस प्रकार से इसके उत्पादन में 170 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पटसन का उत्पादन जो 1947-48 में 19 लाख गांठ था, 1971-72 में 200 प्रतिशत बढ़कर 57 लाख गांठ हो गया है। पांच प्रमुख तिलहनों का उत्पादन स्वतन्त्रता के समय के 52 लाख टन से 75 प्रतिशत बढ़कर 1970-71 में 92 लाख टन हो गया। गन्ने का उत्पादन इसी अवधि में 73 लाख से बढ़कर 132 लाख टन हो गया। पहले हमारे देश में चीनी बाहर से मंगाई जाती थी परन्तु अब पिछले कुछ वर्षों से हम कई देशों को चीनी का निर्यात करने लगे हैं। इन आंकड़ों से पता लगता है कि भारतीय कृषि में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। केन्द्र व राज्य सरकारें, वैज्ञानिक व आयोजक, किसान तथा जनता सभी ने आत्म-निर्भरता के कठिन पथ पर पांव बढ़ाकर जो सफलता प्राप्त की है उस पर वे निश्चय ही गर्व कर सकते हैं। हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार अब तैयार हो चुका है।

★

"मेरी भावना का प्रजातन्त्र वह है, जिसमें छोटे से छोटे व्यक्ति की आवाज को उतना ही महत्व मिले, जितना एक समूह की आवाज को।"

—महात्मा गांधी

अगला बच्चा होने से पहले...ज़रा

सोचिये

क्या आप
पहले इस बच्चे
की सही देखभाल
करना नहीं चाहेंगे ?

इसकी अच्छी पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम इसके जीवन को सफल बनाना...आप उसे पूरा लाड़-प्यार देना चाहेंगे लेकिन अगला बच्चा जल्दी हो गया तो यह सब करना मुश्किल होगा। आप ऐसी स्थिति से जरूर बचना चाहेंगे।

निरोध की सहायता से अब आप अगले बच्चे के जन्म को तब तक टाल सकते हैं जब तक उसकी पूरी देखभाल करने लायक नहीं हो जाते। **निरोध** पुरुषों के लिये है। यह परिवार को छोटा रखने का अच्छा और आसान उपाय है। इसे दुनिया भर में लाखों लोग वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी **निरोध** इस्तेमाल कीजिये

निरोध हर जगह मिलता है। सरकारी रियायती मूल्य : केवल 15 पैसे में 3

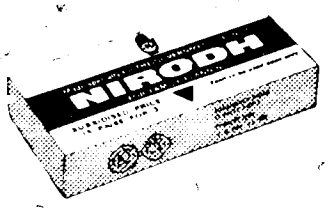

जब तक न चाहें, बच्चा न पायें

निरोध

लाखों की पसन्द - बढ़िया और आसान

जनरल मर्चेन्ट, दवा, परचून और पान आदि की दुकानों में बिकता है।

davp 71/460

गांव और पंचायती राज

देवीसिंह नरूका

भारतीय स्वतन्त्रता की बारहवीं वर्ष-गांठ के अवसर पर 15 अगस्त सन् 1959 को ऐतिहासिक लाल किले से भाषण करते हुए तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, "दिल्ली शहर हिन्दुस्तान नहीं है, हिन्दुस्तान की राजधानी है, हिन्दुस्तान लाखों गांवों का है और जब तक हिन्दुस्तान के यह लाखों गांव नहीं उठते, नहीं जागते, आगे नहीं बढ़ते तो दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास हिन्दुस्तान को आगे नहीं ले जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें अपने गांवों को सामने रखना है।"

भारत के 80 प्रतिशत से अधिक लोग गांवों में रहते हैं तथा अधिकांश व्यक्तियों का मुख्य धन्धा खेती करना है। अतः यह कहा जाए कि किसी को भारत की वास्तविक तस्वीर देखनी है तो गांवों में जाकर देखे, तो अनुचित नहीं होगा। इसलिए आजादी से पहले राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी ने स्वतन्त्र भारत के ग्रामों के स्वरूप की कल्पना करते हुए कहा था कि "ग्राम ऐसा पूर्ण गणतन्त्र है जो अपनी मुख्य जरूरतों के लिए अपने पड़ोसियों पर भी निर्भर न हो किन्तु फिर भी बहुत सी अन्य जरूरत की वस्तुओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो। इस प्रकार से हर गांव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी जरूरत के अनाज और कपड़े के लिए कपास खुद पैदा कर ले। उसके पास अपने पशुओं के लिए चरागाह और गांव के युवकों और बच्चों के मन बहलाव के लिए खेलकूद के मैदान होने चाहिए। यदि ग्राम में पर्याप्त अनाज पैदा करने के बाद भी जमीन बचती है तो उसमें अन्य व्यापारिक फसलें बोई जा सकती हैं किन्तु उनमें गांजा, अफीम, तम्बाकू आदि नशीली वस्तुओं की खेती नहीं होनी चाहिए।"

गांधीजी का विचार था कि "प्रत्येक गांव में अपना नाटकघर, पाठशाला और एक सभाभवन होगा, पानी के लिए उसकी अपनी व्यवस्था होगी जिसमें सभी ग्रामवासियों को पीने का शुद्ध पानी प्राप्त हो सके, बुनियादी शिक्षा के आखिरी दर्जे तक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होगी। जहां तक सम्भव हो सके गांव के सब काम सहकारिता के आधार पर किए जाएंगे। आजकल जैसी जातपांत और छुआछूत दिखाई देती है, वह स्वतन्त्र भारत के गांवों में नहीं होगी। अहिंसा के आधार पर, जिसके सत्याग्रह और सहयोग ये दो अस्त्र हैं, ग्रामीण समाज का शासन चलेगा। गांव की रक्षा के लिए ग्रामीण रक्षक होंगे जिन्हें गांव की चौकीदारी का काम करना होगा।"

गांव का शासन चलाने के लिए प्रति वर्ष गांव के पांच आदमियों की एक पंचायत चुनी जाएगी, ग्रामीण बालिग स्त्री पुरुषों को पंचायत के चुनाव का अधिकार होगा। यही पंचायत गांव के सार्वजनिक कार्यों को करने, कानून बनाने, उनका पालन करवाने का दायित्व लेगी तथा कानून का उल्लंघन करने वालों को दण्ड देगी। इस प्रकार से प्रत्येक ग्राम में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर आधारित पूर्ण लोकतन्त्र होगा। प्रत्येक ग्रामीण के जीवन का यह नियम होगा कि वह अपनी और अपने गांव की इज्जत बचाने के लिए मर मिटे।"

दुर्भाग्य से देश के आजाद होने के कुछ समय पश्चात् ही भारत मां के सपूतों के सिर से बापू का हाथ उठ गया, जिससे प्रत्यक्ष रूप से हमें उनका मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हो सका किन्तु संविधान सभा, जिसने प्रजातन्त्र प्रणाली से देश का शासन चलाने के लिए कानून बनाया, भला उनके विचारों को किस प्रकार से नजरअन्दाज कर सकती थी। अतः भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया कि ग्राम पंचायत की स्थापना की जाएगी तथा गृह उद्योग, वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन सब निर्देशों का उद्देश्य ग्रामों को आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर करना है।

निस्सन्देह आजादी के पश्चात् गांवों के स्वरूप में परिवर्तन आया है। बिजली और सड़कें गांवों तक पहुंची हैं, तथा पहुंच रही हैं, छुआछूत की भावना में कमी आई है, शिक्षितों की संख्या बढ़ी है, जमींदार और जागीरदार का स्थान उद्यमी कृषकों ने ले लिया है, फिर भी हमारे गांव वस्तुतः वैसे ही हैं जैसे सैकड़ों वर्ष पहले थे। आजादी के 25 वर्षों में भी कोई ऐसी क्रान्ति की लहर नहीं आई जो उनकी कायापलट कर नया स्वरूप दे देती। अनेक सरकारी योजनाओं, सहकारिता तथा अन्य सुविधाओं के बावजूद भी सभी भारतीय किसान कर्जे से छुटकारा नहीं पा सके हैं तथा भारतीय ग्रामीण उन रूढ़िवादी परम्पराओं से इतना बंधा है कि वह मुक्त नहीं हो सका है।

राजस्थानी में कहावत है—

"नई मूंजरी खाट, न चूवे टापरी।
भैंसड़ल्यां दो च्यार, क दूजे बापड़ी।
बाजर हंदा रोट, दही में ओलणा।
इतरा दे करतार फेर नहीं बोलणा।"

इस प्रकार से भारतीय ग्रामीण की इतनी सीमित इच्छाएं हैं कि रहने की झोंपड़ी और खाने को दोनों समय पेट भर कर मिल गया तो वह अधिक प्रयास नहीं करता। यह भारतीय ग्रामों के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण है। अब भी इसके

दिमाग में यह बात घर किए हुए है कि 'चेरी छांड़िन होइब रानी' अर्थात् राज करने वाले राज करेंगे और काम करने वाले अपना काम, अतः यह कहा जाए कि भारत का अन्नदाता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है तो अनुचित नहीं होगा।

अब प्रश्न यह उठता है कि पिछड़ेपन को किस प्रकार से दूर किया जाए? इसके लिए क्या सरकार दोषी है या ग्रामवासी अथवा राजनैतिक दल? जहां तक सरकार का प्रश्न है, सरकार का निर्माण कर उससे काम करवाना भारतीय बहुसंख्यक लोगों के हाथ में है। सरकार द्वारा कई प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ग्राम स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कर दी गई है जिनको विस्तृत अधिकार दिए गए हैं।

पंचायती राज की स्थापना में राजस्थान अग्रणी रहा है। सन् 1959 के सितम्बर माह में पंचायत समिति और जिला परिषद कानून पास कर उसे लागू किया गया तथा इसी वर्ष महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर, 1959 को स्व० श्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया।

पंचायती राज भारत के लिए कोई नई व्यवस्था नहीं है। प्राचीन भारत के स्वावलम्बी ग्रामों में इस प्रकार की संस्थाएं थीं किन्तु इन पंचायतों का स्वरूप बहुत ही आदर्श रहा हो ऐसी बात नहीं है। संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटक शूद्रककृत मृच्छकटिक में एक स्थान पर लिखा गया है, "मूल के बिना कमलिनी, धूर्तता से रहित बनिया, चोरी से रहित सोनार और कलहहीन ग्राम पंचायत मिलना बहुत ही कठिन है।" पंच परमेश्वर माने जाते रहे हैं। ग्राम के ठाकुर भी प्रायः पटेल पंचों की सलाह से ही काम करते थे। आज भी कई जातियों की पंचायतें हैं जिनका फैसला किसी भी न्यायालय के फैसले से कम नहीं माना जाता।

जिस प्रकार से हम अपनी सन्तान को बहुत योग्य बनाना चाहते हैं, सब प्रकार की सुविधाएं देते हैं, पर्याप्त धन भी खर्च करते हैं, अच्छे विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था करते हैं और फिर भी यदि वह पढ़ लिखकर योग्य नहीं बनती तो इसकी दोषी वह स्वयं ही है। यही स्थिति भारत में ग्राम पंचायतों की है। स्व० श्री जवाहरलाल नेहरू का मत था "सत्ता और शक्ति ग्रामीण जनता को सौंप दी जानी चाहिए। उन्हें काम करने दीजिए भले ही वे लाखों गलतियां करें। इससे डरें नहीं। हम अपने संकीर्ण चिन्तन के कारण अपने सोच विचार और गतिविधियों में संकुचित रहते हैं, हमें पंचायतों को शक्ति देनी चाहिए।"

प्रथम भारतीय प्रधान मन्त्री के विचारों के अनुसार पंचायतों को बड़े अधिकार दिए गए हैं किन्तु भारतीय पंचायती राज का दुर्भाग्य यह है कि इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। मुझे स्वयं कई बार विभिन्न जिलों में पंचायतों द्वारा आयोजित ग्रामसभाओं, पंचायत समिति और जिला परिषद की बैठकों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। ग्रामसभाओं में पंचायत का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता है और वर्ष की ग्रामीण योजनाओं के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। बहुत कम ग्रामों में देखा गया कि गांव के अधिकांश व्यक्ति ग्राम पंचायत के कार्यों में रुचि रखते हों तथा इसके कार्यक्रमों के बारे में गम्भीरता से विचार करते हों। जिन कुछ व्यक्तियों के कन्धों पर पंचायत के कार्य का भार है वे जैसे चाहे खानापूर्ति करते रहते हैं। पंचायत समितियों और जिला परिषद के कार्य भी अधिक सन्तोषप्रद नहीं कहे जा सकते।

आखिर गांव दूसरों की मदद अथवा सरकारी सहायता से कितना बढ़ेंगे? उन्हें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। यदि ग्रामवासी संगठित हैं तो वे सरकार और राजनैतिक नेताओं से भी ग्राम के विकास कार्यों में अधिकाधिक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और यह संगठन का स्वरूप पंचायत के माध्यम से ही स्पष्ट हो सकता है। पंचायत स्तर पर ग्रामवासियों के सहयोग से योजनाएं बनाई जाएं तथा उन पर ही इन्हें पूरी करने की जिम्मेदारी छोड़ दी जाए तो ग्रामवासियों में स्वावलम्बन की भावना का विकास होगा।

भारतीय ग्रामीण जागरूक है, इसमें सन्देह नहीं। हम देखते हैं कि युद्ध के समय, वे अपने ग्रामों के अतिरिक्त रेल की पटरी और पुल आदि की सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं। प्रायः देखा गया है कि ग्रामों में खेती के अतिरिक्त अन्य धन्धों की कमी तथा वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोषों के कारण शिक्षित युवक रोजगार के लिए शहरों में चले जाते हैं। इस प्रकार से उत्साही नवयुवकों के अभाव के कारण पंचायत के सार्वजनिक कार्य उतनी सफलतापूर्वक नहीं हो पाते।

ग्रामीण औद्योगीकरण से जब इस स्थिति में सुधार आएगा और शिक्षित युवक-युवतियां ग्रामों में ही रहकर सार्वजनिक कार्यों में हाथ बंटाएंगे तब निश्चय ही इस स्थिति में सुधार आएगा। पूज्य बापू के शब्दों में "भारतीय ग्रामीण के बाहरी गंवारूपन के पीछे उसके भीतर आध्यात्मिकता का गहरा भण्डार मिलेगा। पश्चिम के दूसरे देशों में यह चीज नहीं मिलेगी। भारतीय ग्रामवासी की बाहरी परत को हटा दीजिए, उसकी गरीबी और निरक्षरता को दूर कर दीजिए तो उसका सर्वोत्तम रूप, सभ्य तथा सुसंस्कृत रूप सामने आएगा।

ग्रामवासियों के प्रयत्नों से ही सैकड़ों वर्षों की गुलामी और रूढ़िवादी परम्परा से जकड़े, पिछड़े ग्राम जनजीवन को सुखी और समृद्ध बनाकर आदर्शरूप ग्रहण करेंगे। यह सब पंचायतीराज व्यवस्था से ही सम्भव है जिसमें शक्ति और साधन थोपे नहीं जाते बल्कि स्वतः ही प्राप्त होते हैं।

इस वर्ष हम स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती मना रहे हैं, अतः ग्रामों के तेज गति से विकास के लिए पंचायतराज व्यवस्था का पुनरवलोकन कर सुधार की परमावश्यकता है।

केरल में बालकों को पोषाहार

भगवत् प्रसाद चतुर्वेदी

पश्चिम चालाकुडि गांव में दोपहर को एकदम चहल पहल बढ़ जाती है। बच्चे आशाभरी नजरों से कोठरी के दरवाजे की ओर ताकते हैं। नन्हें मुन्नों से लेकर पांच साल तक की आयु के बच्चे नारियल और काजू के पेड़ों से घिरी उस कोठरी में जमा हो जाते हैं। यह उनका दैनिक कार्यक्रम है।

केरल में चालाकुडि विकास खण्ड के कई गांवों में पोषाहार कार्यक्रम पिछले दो वर्षों से चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बालकों को दोपहर का भोजन महिला समाज द्वारा निर्धारित केन्द्र में देने की व्यवस्था है।

महिला समाज की सदस्याएं बखूबी जानती हैं कि केन्द्र में बैठे बच्चे केवल भोजन ही नहीं, नए प्रकार के भोजन की प्रतीक्षा करते हैं। यह नया भोजन उन्हें घर पर मिलने वाले भोजन से कुछ भिन्न होता है।

यह गांव विकास खण्ड के सदर मुकाम से कुछ मील पर स्थित है जहां पोषाहार केन्द्र 1970 में चालू किया गया था। इस केन्द्र में न केवल बच्चों को ही बल्कि दूध पिलाने वाली एवं गर्भवती माताओं को भी पोषाहार देने की व्यवस्था है।

चालाकुडि खण्ड के अन्य जिन गांवों में पोषाहार केन्द्र चल रहे हैं उनके नाम हैं—पूलानी और काडुकुट्टी, जहां यह कार्यक्रम क्रमशः 1970-71 तथा 1971-72 में लागू किया गया था।

केरल के गांवों का जिक्र करते समय आमतौर पर हमारी आंखों के सामने देश के अन्य गांवों की तस्वीर आ जाती है, किन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है। यहां के गांवों का फैलाव न तो उत्तर भारत के गांवों की तरह है और न यहां उन गांवों की तरह धूल और गन्दगी मिलेगी। यहां तक कि मकानों की बनावट भी बिलकुल भिन्न है।

सड़क के दोनों ओर लम्बाई और चौड़ाई में गांव बसे हुए हैं। एक गांव से दूसरे के बीच फासला कोई नहीं है। पास पास बने दो घर विभिन्न गांवों के हो सकते हैं। हर घर की छत, चाहे वह कच्चा हो या पक्का, खपरैल की होगी। घनी आबादी वाले गांवों में भी कोई दो घर सटे हुए शायद ही मिलें। हर घर के इर्द-गिर्द नारियल, केले या काजू के पेड़ मिलेंगे जिन पर काली मिर्च की बेलें चढ़ी होंगी। यही विशेषता यहां के गांवों को भारत के अन्य गांवों से अलग दर्शाती है।

पश्चिम चालाकुडि गांव के पोषाहार केन्द्र में भोजन करते हुए बच्चे

सवाल उठता है कि जहां साक्षरता का प्रतिशत देश में सबसे अधिक तथा गांव इतने प्रगतिशील हैं, वहां पोषाहार जैसा उपयोगी कार्यक्रम इतनी देर से क्यों शुरू हुआ ? सच पूछा जाए तो यह कार्यक्रम सरकारी तौर पर पोषाहार कार्यक्रम शुरू होने से भी बहुत पहले से यहां चल रहा है।

अनेक गैर सरकारी संस्थाओं ने यहां के विभिन्न गांवों में पोषाहार केन्द्र चला रखे हैं। इनमें से कुछ अब भी चल रहे हैं और कुछ आर्थिक सहायता के अभाव में बन्द कर दिए गए। यही कारण है कि जब यह कार्यक्रम सरकारी सहयोग से से शुरू किया गया तो जनसाधारण ने इसे पूरी तरह अपना लिया और अपना पूरा पूरा सहयोग दिया। यहां के ग्रामीणों को पोषाहार का महत्व समझाने में कोई दिक्कत नहीं हुई।

नया केन्द्र

गांव वालों का उत्साह देखकर तथा सहयोग पाकर चालाकुडि विकास खण्ड के अधिकारियों ने इसी साल एक नया केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है। यह

केन्द्र कोडासिरी पंचायत के अधीन नारायन गढ़ी गांव में शुरू किया जा रहा है।

ये सभी पोषाहार केन्द्र विभिन्न महिला समाज से संलग्न होते हैं। इन केन्द्रों में भोजन वितरण की व्यवस्था खण्ड की ओर से महिला समाज की सदस्याएं करती हैं। बालकों को पौष्टिक आहार 15 पैसे तथा वयस्कों को 25 पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलता है। यह नाममात्र का शुल्क श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए लिया जाता है ताकि लोगों को सदाव्रत जैसा कुछ महसूस न हो।

केन्द्रों में पोषाहार महीने में 25 दिन दिया जाता है। इसके अलावा पौष्टिक भोजन पाने वाले बच्चों और वयस्कों की संख्या भी सीमित होती है। दूध पिलाने वाली एवं गर्भवती माताओं की अधिकतम संख्या 30 होती है जबकि बालकों की संख्या 50 से अधिक नहीं होती है। केन्द्र से पोषाहार लेने वाले बालकों की आयु 6 महीने से 5 वर्ष के बीच होती है।

प्रत्येक वयस्क को पौष्टिक भोजन के रूप में एक उबला हुआ अण्डा, मूंग की दाल, चने (उबले या अंकुरित), मूंगफली तथा मौसमी फल मिलते हैं। खाना पकाने, परोसने आदि की व्यवस्था महिला समाज की सदस्याएं ही करती हैं। बालकों को भोजन में केवल आधा अण्डा ही दिया जाता है। बाकी वे सभी चीजें दी जाती हैं जो वयस्कों को मिलती हैं।

बालवाड़ियां

बालवाड़ियां पोषाहार केन्द्रों का अभिन्न अंग होती हैं। यद्यपि केन्द्र में भोजन पाने वाले सभी बच्चे बालवाड़ी के ही नहीं होते हैं, फिर भी अधिकांश बालवाड़ी से ही लिए जाते हैं। इन बालवाड़ियों का संचालन बालसेविकाएं करती हैं जिनकी नियुक्ति विकास खण्ड द्वारा की जाती है।

पुलानी गांव में सिलाई कक्षा

बालसेविकाओं को केरल के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है जहां पोषाहार के बारे में भी वे विशेष प्रशिक्षण लेती हैं। ये केन्द्र कोट्टाराकरा, तालीपरम्बा और त्रिवेन्द्रम में स्थित हैं।

प्रशिक्षित बालसेविकाओं को स्थानीय महिला समाज के सहयोग से काम करना होता है क्योंकि महिला समाज में गांव की सभी प्रमुख महिलाएं होती हैं। इस प्रकार बालसेविकाओं का काम भी आसान हो जाता है।

यह समझना गलत होगा कि बालसेविकाओं की नियुक्ति केवल पोषाहार केन्द्रों के लिए ही की जाती है। उन्हें इन केन्द्रों के संचालन में तो योग देना ही पड़ता है, साथ ही वे महिला समाज द्वारा संचालित सिलाई और पाक कला की कक्षाएं भी लेती हैं। इन कक्षाओं को चलाने के लिए खण्ड की ओर से बर्तन और सिलाई मशीनें खरीदी जाती हैं।

चूंकि पोषाहार कार्यक्रम में अण्डे और मछली का बहुत महत्व है, अतएव महिला समाज की ओर से मुर्गीपालन, मछलीपालन तथा आंगनबाड़ी का प्रशिक्षण गृहिणियों को दिया जाता है। गृहिणियां इन कार्यक्रमों में कितनी दिलचस्पी लेती हैं यह इसी बात से जाहिर हो जाता है कि प्रत्येक गांव में कदम कदम पर मुर्गीशालाएं तथा आंगनबाड़ियां देखने को मिलती हैं।

केरल में पानी की कमी नहीं है। जगह जगह पर ताल तलैया दिखाई पड़ जाते हैं। इनमें लोगों की रुचि के अनुसार मछलियां पाली जाती हैं। इनके बीज विकास खण्ड के विभिन्न अधिकारी उपलब्ध कराते हैं। इन सब कामों में केरल की महिलाएं वहां के पुरुष वर्ग से एक कदम आगे ही रहती हैं।

पोषाहार केन्द्रों को अण्डे और मछलियां आसपास के गांवों से भी मिल जाते हैं, यहां तक कि सब्जियों के लिए भी दूर नहीं जाना पड़ता।

पुरानी पीढ़ी जिस आहार को पहले चन्द लोगों तक ही सीमित मानती थी आज वही भोजन पोषाहार के रूप में उनके बच्चों को सामान्य रूप से उपलब्ध है। इसे पीढ़ियों का अन्तर कह लीजिए या पोषाहार कार्यक्रम की सफलता, किन्तु केरल के बालक इस आहार को खूब पसन्द करते हैं।

देश की खुशहाली का आधार हमारी वन-सम्पदा

पिछले 23 वर्षों से हम लगातार वन महोत्सव मनाते चले आ रहे हैं। इसका प्रारम्भ किसी उत्सव के रूप में नहीं किया गया था बल्कि इसका उद्देश्य यथार्थ से साक्षात्कार करना, सही स्थिति को जानना-जनाना था। देश के आजाद होने के कुछ ही साल बाद हमने यह अनुभव किया कि वनक्षेत्र तेजी से कम होता जा रहा है और जंगलों की रक्षा और उनके विकास के लिए चाहे कितने भी कानून क्यों न बनाए जाएं किन्तु वास्तविक सफलता तब तक नहीं मिल सकेगी जब तक कि जनता का हार्दिक सक्रिय सहयोग प्राप्त न हो। अतः जंगलों की गिरती हुई हालत की ओर लोगों का ध्यान केन्द्रित करने तथा उनकी रक्षा के लिए आवश्यक वातावरण बनाकर जन सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से वन महोत्सव का प्रारम्भ किया गया।

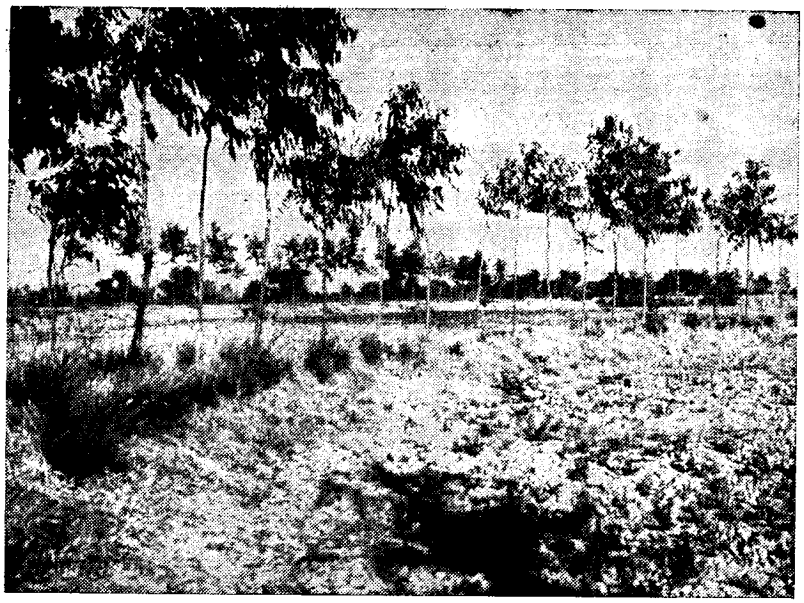

जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे धर्म और संस्कृति में वनों को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है। वन वृक्षों की इस महत्ता को कई तरीकों से स्वीकार किया गया है। जैसे वृक्षों में देवी-देवताओं का निवास मानकर और अन्य प्राणियों को देवी-देवताओं का वाहन मानकर। इन सभी मान्यताओं के पीछे एक ही भावना है और वह है लोकमन में वनों की महत्ता और उपयोगिता को प्रतिष्ठापित करने की।

अगर हम रोजमर्रा के अनुभवों की दृष्टि से देखें तो हमें वनों का महत्व जानने के लिए किसी धार्मिक सन्दर्भ की आवश्यकता नहीं है। मानव के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक जंगल हमारे साथी हैं। पैदा होने पर मानव लकड़ी के पालने में झूलता है और मृत्यु के बाद चन्दन की चिता पर चढ़कर उसी मिट्टी का अंग बन जाता है जिसने हमें जन्म दिया है। यही मिट्टी हमारी मां है और इसे हरा भरा तथा उपजाऊ बनाए रखना हमारा कर्त्तव्य है। जंगल वर्षा को आकर्षित करके स्थानीय रूप से मौसम को प्रभावित करते हैं, वृक्षों की जड़ें वर्षा के पानी को सोखकर भूमि पर पानी के बहाव को धीमा करके मिट्टी को कटने से बचाती हैं, तेज वर्षा के जल की पहली चोट तो वृक्षों के वितान ही झेलते हैं और भूमि की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार वन क्षेत्र बाढ़ और तूफानों की गति को भी रोक कर भूमि को कटाव से बचाते हैं। इसके परिणामस्वरूप धरती की ऊपरी सतह का उपजाऊपन कायम रहता है और खेती-पाती अच्छी रहती है। इसलिए कहा गया है है कि वृक्ष ही जल हैं, जल ही अन्न है और अन्न ही जीवन है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति बनाई है जिसके अनुसार कोई 33 प्रतिशत अर्थात् एक तिहाई क्षेत्र में जंगल होना जरूरी है।

वर्षा को आकर्षित करना, मौसम को सम बनाना, बाढ़ और तूफान की गति को रोककर भूमि संरक्षण करना आदि तो कुछ ऐसे लाभ हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हमें वनों से प्राप्त होते हैं। किन्तु इनके अतिरिक्त कुछ प्रत्यक्ष लाभ भी हैं। ईंधन, इमारती लकड़ी, बांस, लाख, गोंद तथा भांति-भांति की वनोपज हमें जंगलों से ही मिलती है। एक बार सोने चांदी के बिना हमारा काम चल सकता है लेकिन लकड़ी के बिना नहीं। खेती के लिए हल-बखर, खेती की बाड़ी, गांव की झोंपड़ी, इमारती काम आदि सबके लिए लकड़ी चाहिए। चूल्हे में जलाने के लिए भी लकड़ी चाहिए और यदि लकड़ी न मिली तो फिर गोबर के कण्डे जलाने पड़ते हैं जबकि गोबर की अधिक जरूरत खेतों में खाद के लिए होती है। प्रजातन्त्र में तो कागज की मांग दिनोंदिन बढ़ती जाती है क्योंकि साक्षरता बढ़ने से अखबों की संख्या में पुस्तकें छपती हैं तथा हजारों अखबार छपते हैं जिनकी संख्या करोड़ों में जा सकती है। इन सब कामों के लिए हमें लकड़ी और वनोपज चाहिए जो कि प्रत्यक्षतः जंगलों से मिलती है। अतः यदि हमें प्रजातन्त्र की रक्षा करना है, अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना है तो अपने जंगलों की रक्षा करनी होगी।

अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी है क्योंकि यहां एक तिहाई से ज्यादा क्षेत्र में जंगल हैं। हमारे राज्य के पूरे रकबे

का कोई 39-40 प्रतिशत भाग जंगल के अन्तर्गत है और हमारे लगभग 66 हजार वर्गमील वनक्षेत्र में से आधे जंगल में कीमती लकड़ी पाई जाती है। राज्य को जो आय होती है उसको वह जनता के कल्याण के कामों पर व्यय करता है। अगर आमदनी ज्यादा होगी तो लोक-कल्याण के काम करने की हमारी ताकत भी बढ़ेगी। जंगल हमारे उन अन्दरूनी साधनों में से हैं जिनका विकास करके हम बिना सीधे टैक्स लगाए राज्य की आय बढ़ा सकते हैं, बढ़ा रहे हैं और आगे भी बढ़ाएंगे। सोना-चांदी की खानें तो एक दिन खाली हो सकती हैं किन्तु जंगल का विज्ञान कुछ ऐसा है कि वनों को वैज्ञानिक प्रबन्ध के अन्तर्गत लाकर हम उन्हें सदा-सर्वदा के लिए उपजाऊ बनाए रख सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हम उनसे आवश्यकतानुसार मनचाहा और अधिकाधिक उत्पादन भी ले सकते हैं।

इस प्रसंग में वन महोत्सव के अवसर पर वनों के महत्व की ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है। यह प्रसंग अधूरा ही रह जाएगा यदि मैं आपको यह न बताऊं कि मध्यप्रदेश में वनों की क्या स्थिति है, सरकार इनकी रक्षा और विकास के लिए क्या कर रही है तथा जनता से हमारी क्या आशा अपेक्षाएं हैं। जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया यद्यपि हमारे राज्य में काफी वन हैं किन्तु हमारे सारे वन एक से नहीं हैं। एक तरफ बस्तर के सघन और मूल्यवान वनक्षेत्र हैं तो दूसरी ओर राज्य के उत्तरी जिलों के जंगल हैं जो ईंधन की जरूरत भी पूरा नहीं कर सकते। उज्जैन, शाजापुर आदि जिलों में तो जंगल नाम-मात्र को ही हैं। आज से 100 वर्ष पूर्व की स्थिति कुछ भिन्न थी। किन्तु शहरी सभ्यता के प्रसार एवं उद्योग धन्धों के प्रारम्भ के साथ साथ स्थिति एकदम बदल गई है। कल तक जो प्राकृतिक साधन हमारे लिए काफी थे आज बढ़ती हुई आबादी की दिन ब दिन बढ़ती हुई मांगों के कारण वे ही नैसर्गिक साधन हमारे लिए कम पड़ने लगे हैं। फिर हमारे वन क्षेत्र में तो दिन ब दिन कमी होती जा रही है। खेती के लिए जमीन देनी पड़ती है, विस्थापितों को बसाना होता है, नदी घाटी योजनाओं में जमीन डूबती है, सुरक्षा कार्यों तथा अन्य कार्यों के लिए भी वन भूमि से ही मांग को पूरा करना होता है। 1969 में इन तमाम कामों के लिए जंगलों से तिरासी लाख एकड़ से भी अधिक जमीन देनी पड़ी है। आज एक ओर इन जंगलों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाने की जिम्मेदारी तो दूसरी ओर वर्तमान की घरेलू और औद्योगिक जरूरतों को पूरी करने की चुनौती भी है। इस विभाग को इन कर्त्तव्यों को सन्तुलित रूप से निभाना है।

पिछले 7 सालों में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न वन विकास कार्यों पर कोई 14 करोड़ रुपये व्यय किया गया। इसके अलावा, योजना की अलग अलग मदों में लगभग 19 करोड़ रुपये और खर्च किए। वन विकास सम्बन्धी हमारे जो लक्ष्य थे उनमें से कोई 90 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य हमने पूरे किए। इसके परिणामस्वरूप वनों से होने वाली आय निरन्तर बढ़ रही है। 1956-57 में नए मध्य प्रदेश के बनने के समय वन राजस्व 6 करोड़ रुपये से कुछ ही अधिक था जो कि 15 वर्ष बाद 1971-72 में पांच गुने से भी अधिक है। अर्थात् 30 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर गया है। अभी दो वर्ष पूर्व इमारती लकड़ी का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है उसका उद्देश्य भी जंगलों की रक्षा करना तथा उनसे समाज का पिछड़ हुए और कमजोर वर्ग को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना है।

—मध्य प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक

हरित क्रान्ति

कन्हैयालाल शर्मा "ब्रजेश"

हरित क्रान्ति जाग उठी है खेतों में खलिहानों में।
ऊसर का कण-कण उर्वर बन, सावन सा लहराता है॥
एक रंग का हरा सुहाना चादर सा फहराता है।
अंगूरों की फसल उग रही अब तो रेगिस्तानों में॥
हरित क्रान्ति जाग उठी है खेतों में खलिहानों में।
नए नए उपकरण बन गए भूमि उर्वरा करने को॥
नए प्रयोग खाद के उभरे ऊसर बंजर उगने को।
बंजर बीहड़ सब अंकुराने फसल हंसी मैदानों में॥
हरित क्रान्ति जाग उठी है खेतों में खलिहानों में।
इंच इंच भर धरती तर है अब पानी के स्रोतों से॥
अब तक अन्न मंगाया करते अब भेजेंगे पोतों से।
रौनक भी छाई देखो तो जाकर अब श्मशानों में॥
हरित क्रान्ति जाग उठी है खेतों में खलिहानों में।
भूखा रहै न कोई मानव मिले समय पर खाने को॥
प्राण उसे भी मिल जाएंगे बैठा हो मर जाने को।
एक नई जग गई जिन्दगी देखो सूखे प्राणों में॥
हरित क्रान्ति जाग उठी है खेतों में खलिहानों में।
करो परिश्रम करते जाओ है आराम हराम यहां॥
जहां न क्रान्ति जगी जीवन में जीवन ही मिट गया वहां।
अब तो हरित हृदय पाता है देखो तो पाषाणों में॥
हरित क्रान्ति जाग उठी है खेतों में खलिहानों में।

बाढ़ के बाद होने वाले रोग और उनसे बचाव

डा० शिवशंकर 'भारती'

प्रकृति के प्रकोप और अधिक वर्षा के कारण प्रायः बाढ़ आ जाती है। इन दिनों स्निग्धता, अम्ल तथा खट्टे रस की वृद्धि हो जाती है। देश देशान्तर का शुद्ध अशुद्ध जल कच्चा और विषयुक्त हो जाता है। इसी कारण मौसम और वातावरण में भारीपन और नमी व्याप्त हो जाती है।

ऐसे समय बाढ़ग्रस्त लोगों को रात-दिन और कभी-कभी तो सप्ताहों, महीनों और सालों तक जल के बीच में रहकर अपनी प्राण रक्षा करनी पड़ती है। वहां बाढ़ के बाद बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अनेक रोग और महामारी भी फैल जाती है, जिसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है। ऐसे रोगों में मलेरियाज्वर, हैजा और पेचिश, खांसी, जुकाम, वातरोग और रक्तविकार आदि चर्मरोग विशेष उल्लेखनीय हैं।

बाढ़ के कारण जल दूषित हो जाता है। अतः जल को उबाल कर पीना चाहिए। जहां जल को गर्म करने का प्रबन्ध न हो वहां जल को स्वच्छ बारीक वस्त्र में छान कर पीना चाहिए। नदी या तालाब के जल के अलावा कुएं के दूषित जल को पोटाशियम-परमेंगनेट (लाल दवाई) डालकर कीटाणुरहित कर लेना चाहिए।

एक समय था जब हमारे देश में नगर और ग्राम मलेरिया रोग की लपेट में आ जाते थे और प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के शिकार हो जाते थे। किन्तु इस दिशा में हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इस रोग पर अधिकांश रूप में काबू पा लिया है। फिर भी कई प्रान्तों में लोगों को मलेरिया रोग अब भी आ घेरता है।

मलेरिया रोग में सर्दी लगकर तेज ज्वर चढ़ता है और रोगी को बहुत प्यास लगती है। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में इस रोग की रामबाण औषधि केमोक्विन गोलियां है। ज्वर चढ़ने से पूर्व दो गोली ताजा जल के साथ लेने से प्राय. ज्वर उतर जाता है। दूर ग्राम और देहात में जहां यह औषधि प्राप्त न हो सके वहां 15 ग्राम जल में सात काली मिर्च और तुलसी के पत्ते सिल पर घोंट छानकर सुबह शाम लेते रहने से ज्वर शान्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त 5 ग्राम गिलोय और 9 काली मिर्च 50 ग्राम जल में ठण्डाई की तरह घोंट कर एक सप्ताह प्रातः सायं प्रयोग करने से मलेरिया ज्वर उतर जाता है।

रोगी को खाना हलका और नर्म दीजिए। इस रोग में दूध और साबूदाने का पथ्य सबसे उत्तम है। काली मिर्च और सेंधा नमक के साथ कागजी नीबू गर्म कर चूसते रहना चाहिए। जल उबाल कर दीजिए।

हैजा और पेचिश

इन दिनों जठराग्नि मन्द होने से और पथ्य-कुपथ्य भोजन और दूषित जल पीने से विषाक्त कीटाणु उदर में चले जाते हैं जिसके कारण प्रायः लोग हैजा और पेचिश के शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप तुरन्त ही किसी अच्छे डाक्टर या वैद्य को बुलाइए। यदि समय पर कोई चिकित्सक उपलब्ध न हो तो ये औषधियां रोगी को दीजिए। पोदीना की पत्ती 30, काली मिर्च 3, काला नमक 2 ग्राम, छोटी भुनी हुई इलायची 3 दाने, इमली 2 ग्राम। इन सब औषधियों की चटनी बनाकर हैजे के रोगी को घण्टे-घण्टे भर बाद चटाने से रोग शान्त हो जाता है। रोग की शुरू की अवस्था में लाल मिर्च के भीतर का सूत जिसमें बीज लिपटे रहते हैं वे 6 सूत, 3 काली मिर्च जल में पीसकर एक घण्टे के अन्तर से रोगी को पिलाने से रोग शान्त हो जाता है। 20 ग्राम प्याज का रस और सात काली मिर्चों को घोंटकर हैजे के रोगी को एक एक घण्टे के बाद पिलाने से प्यास तथा घबराहट दूर हो जाती है। दस्त और उल्टी शान्त होकर धीरे धीरे रोगी ठीक हो जाता है।

आक की जड़ 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, अकरकरा 10 ग्राम —इन सब औषधियों को बारीक पीसकर कपड़छन कर लें और धतूरे के रस में खूब घोंटकर चने के समान गोलियां बना लें। एक या आधे घण्टे के अन्तर से एक एक गोली देते रहने से हैजा ठीक हो जाता है। बच्चों को अवस्था के मुताबिक चौदह वर्ष के ऊपर पूरी गोली और 6 से तेरह वर्ष तक आधी और दो वर्ष से पांच वर्ष तक चौथाई खुराक देनी चाहिए।

चूहे की मेंगनी 10 ग्राम, सोंफ 10 ग्राम, जल में पीसकर रोगी के पेट पर लेप करने से पेट का अफारा, शूल और ऐंठन शान्त होती है। ऐसी अवस्था में रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए। रोग शान्त हो जाने पर रोगी को पथ्य में पुराने चावल और मूंग की धुली हुई पतली दाल देनी चाहिए। हैजा होने पर प्यास लगने की दशा में चावलों का पानी पिलाना चाहिए।

साधारण पेचिश अथवा खूनी दस्त मरोड़ों में बड़े लोगों को दिन में तीन बार दो दो गोली सल्फागोनोडीन और एक एक गोली इन्ट्रा-वायाफार्म ताजा जल के साथ देते रहने से दस्त और मरोड़ ठीक

हो जाते हैं। यदि ऊपर लिखी दवा सुलभ न हो तो बेल का मुरब्बा 15 ग्राम खाएं और दिन में दो बार दही के साथ 5-5 ग्राम ईसबगोल की भूसी लें। ऐसा करने से दस्त और मरोड़ शान्त हो जाते हैं। खाने में बिना माड़ निकाले घुटे हुए चावल, दही और भुने हुए जीरे, नमक के साथ लीजिए या पतली खिचड़ी दही के साथ लेनी चाहिए।

खांसी और जुकाम

सर्दी, गर्मी, नमी और फैले जल के कारण लोगों को खांसी और जुकाम हो जाता है। इसलिए अहितकर गरिष्ठ खान-पान और सर्दी नमी से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। जुकाम हो जाने पर बर्फ में भीगने से बचिए। पेट साफ रखिए और दिन में दो तीन बार गर्म पानी में नीबू निचोड़ कर पीजिए। रात्रि को ओस से बचने के लिए बाहर खुले में न सोइए।

जुकाम में आयुर्वेदिक चिकित्सा के आधार पर प्रातः और सांय दो-दो रत्ती लक्ष्मी विलास रस शहद के साथ लेने से हलका ज्वर और जुकाम शान्त हो जाता है। तेज जुकाम में दिन में चार बार भी औषधि ली जा सकती है। ब्योपादिवटी सर्दी जुकाम और खांसी की गुणकारी औषधि है। इस बटी को दिन में एक एक गोली चूसते रहना चाहिए। ऐसा करने से जुकाम शान्त हो जाता है। साधारण खांसी में नमक के साथ अदरक मुंह में रखकर चूसने से खांसी ठीक हो जाती है। हलका भोजन खाना चाहिए। पानी छानकर थोड़ा गर्म कर पीजिए। प्रातः सांय नमक डालकर गर्म पानी के गरारे कीजिए। गुलबफशा या जुशांदे का काढ़ा और अदरक तुलसी की चाय भी खांसी दूर करने की उत्तम औषधि है।

चर्म रोग और रक्तविकार

इन दिनों ऋतु की नमी और चिप-चिपेपन के कारण असंख्य घातक कृमियों की सृष्टि हो जाती है। अधिक भीगे रहने और बदबू के कारण रक्त दूषित होकर शरीर में चर्मरोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में प्रायः शरीर के गुप्तांगों और गर्दन, बगल आदि पर दाद हो जाते हैं। इसकी प्राथमिक चिकित्सा यह है कि ऐसे अंगों को अधिक गीला न रहने दें और दादनाशक औषधियों का नियम से सेवन करें।

दादनाशक योग

नवसादर 10 ग्राम और सफेद कत्था 10 ग्राम दोनों को पीस कर नीबू के रस में मिलाकर गोलियां बना लें। दाद पर इस गोली का लेप करने से एक सप्ताह में दाद नष्ट हो जाता है।

दूसरा योग—सुहागा और गन्धक दोनों को समान भाग लेकर नीबू के रस में घोंटकर गोलियां बना लें। दाद को अच्छी तरह करमी (उबले) अथवा मक्का की सिल्ली से खुजला कर गोली को नीबू के रस में घिस कर लगाने से दाद ठीक हो जाते हैं।

खुजेरा

बरसात में गन्दी मिट्टी और गन्दा पानी लग जाने के कारण यदि हाथ पैर का कोई भाग खुजलाने से रह जाए तो उसे अधिक न खुजाएं बल्कि यह साबुन से अच्छी तरह साफ कर सरसों का तेल लगाकर दिन में दो तीन बार सेंकने से ठीक हो जाता है। इस प्रकार के रोग प्रायः ग्रामों में अधिक होते हैं।

खारवे

(पैर की उंगलियों का गलना) पानी में अधिक रहने के कारण पैरों की उंगलियों की गाइयों में खारवे पड़ जाते हैं अर्थात गाइयां गलने लग जाती हैं। ऐसी अवस्था में पैरों को पानी से बचाना चाहिए। उंगलियों में मिट्टी का तेल लगा कर सेंकिए। इसके लिए दूसरा उपाय यह भी है कि रात्रि को सोते समय पैरों की उंगलियों और गाइयों में मेंहदी घोलकर लगाते रहने से उंगलियों का गलना ठीक हो जाता है।

प्रायः बरसात के दिनों में मच्छरों का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ जाता है और मच्छर सोना हराम कर देते हैं। काटने से शरीर पर जगह जगह चकत्ते पड़ कर फुंसियां बन जाती हैं। इन दिनों रात्रि को सोने से पूर्व मुख और हाथ पैरों पर सरसों का तेल मल कर सोइए।

मच्छर भगाने का पाउडर

फ्रैंच चाक पाउडर 500 ग्राम और युकलिप्टस आयल (इलाइची का तेल) 25 ग्राम को अच्छी तरह मिलाकर डिब्बे में भर कर रख लीजिए। डिब्बे का ढक्कन अच्छी तरह बन्द कर रखना चाहिए। रात्रि को सोते समय पाउडर को शरीर पर मल कर सोइए। ऐसा करने से मच्छर आपके पास तक नहीं फटकेंगे।

फोड़े फुन्सियां

साधारण फोड़े फुन्सियों पर नीम की छाल का घिस कर लगाने से लाभ हो जाता है। बड़े फोड़े फुन्सियों के लिए निम्नलिखित योगों को तैयार कर इस्तेमाल करना चाहिए।

पहला योग—आमलासार गन्धक 10 ग्राम, फिटकरी 10 ग्राम, सुहागा 10 ग्राम, पारा 5 ग्राम को लेकर अच्छी तरह सरसों में घोंटकर दवा से चौगुना घी अथवा वैसलीन मिलाकर रख लें। इस मलहम को लगाने से फोड़े फुन्सियां जल्दी ठीक हो जाते हैं। दूसरा योग—कनेर के पत्ते कूटकर तेल में जला कर छान लेना चाहिए। इस तेल को घाव पर लगाने से विशेष लाभ होता है।

बाढ़ और बरसात के दिनों में सर्प और बिच्छू आदि घातक जीव जन्तुओं का प्रकोप बढ़ जाता है। सावधानी और चिकित्सा के लिए निम्न उपाय करने चाहिए।

सर्प के काटने पर : शरीर के जिस स्थान पर सर्प काटे उससे दो या तीन इंच ऊपर की ओर किसी मजबूत डोरी, रस्सी या कपड़े से कस कर बांध देना चाहिए, जिससे रक्त का संचार रुक जाए और विष हृदय तक न पहुंच सके। इसी प्रकार पहले बांध के ऊपर थोड़ा-थोड़ा अन्तर से दो-तीन बांध देने चाहिए। काटे हुए स्थान पर किसी चाकू या उस्तरे

[शेष पृष्ठ 30 पर

हमारे और इंगलैण्ड के उपभोक्ता भण्डार

अखिलेश अंजुम

इंगलैण्ड में सहकारी आन्दोलन को स्थापित हुए लम्बा समय व्यतीत हो चुका है किन्तु उसकी प्रगति की गति में शिथिलता नहीं आई है और वहां सहकारी कार्यक्रम उन्नति करते जा रहे हैं। वहां के सहकारिता आन्दोलन की कुछ निम्न विशेषताएं ही गति देने में सहायक हुई हैं।

ब्रिटेन के उपभोक्ता आन्दोलन का मूल उद्देश्य मध्यस्थों को समाप्त कर उपभोक्ता और उत्पादकों में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना रहा है। अतएव वहां पर उत्पादक और उपभोक्ता आन्दोलनों में सम्पर्क सीधा और अटूट है। वहां पर सहकारी समितियां ऐसी हैं जो उत्पादन का कार्य भी करती हैं और उत्पादित सामग्री की बिक्री भी। उनका सम्बन्ध अन्य सहकारी समितियों से भी होता है और उनकी सहायता से वस्तु विक्रय सरल हो जाता है। इस प्रकार के सम्पर्क से न केवल उत्पादकों को ही वरन् समाज को भी वस्तु विक्रय का लाभ मिलता है। मध्यस्थों की संख्या कम होने के कारण वस्तुओं का मूल्य भी अधिक नहीं बढ़ पाता है और उपभोक्ताओं को वस्तु उचित मूल्यों पर मिल जाती है।

इंगलैण्ड के उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का कार्यक्षेत्र केवल इंगलैण्ड तक ही सीमित नहीं है वरन् उनका सम्पर्क अन्य देशों की सहकारी संस्थाओं से भी है और इस सम्पर्क की सहायता से उन्हें अपनी संस्थाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार ढूंढने में भी बड़ी सहायता मिलती है और सहकारिता क्षेत्र का विस्तार भी होता रहता है।

इंगलैण्ड के सहकारी आन्दोलन की एक विशेषता यह भी है कि वहां पर सहकारी थोक और फुटकर समितियों में आदर्श सम्बन्ध है। फुटकर समितियों को जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे सहकारी थोक समितियां उपलब्ध कर लेती हैं और ये सहकारी थोक समितियां उस सामग्री को सहकारी उत्पादन समितियों से अथवा अन्य थोक व्यापारियों से प्राप्त करती हैं। प्रायः इन थोक समितियों का निर्माण रोकडेल समितियों के सिद्धान्त पर होता है और उनका लाभ रक्षित कोषों के अतिरिक्त फुटकर समितियों में क्रय मात्रा के अनुसार विभाजित कर दिया जाता है।

यद्यपि इंगलैण्ड में सहकारिता आन्दोलन का श्रीगणेश क्रान्ति के द्वारा उत्पन्न हुई परिस्थितियों में हुआ था परन्तु उसकी आधुनिक सफलता का श्रेय सदस्यों के सहकारिता सम्बन्धी दृष्टिकोण तथा उनकी शुभचिन्तकता को है। वहां पर सहकारिता की भावना बहुत अधिक है। सदस्यों की शुभचिन्तकता के कारण ही वहां की सभी समितियां शृंखलाबद्ध हो गई हैं। ब्रिटेन के सहकारिता आन्दोलन में वहां के कर्मचारियों का पूरा सहयोग रहता है। उनकी कार्यक्षमता और कर्त्तव्यपरायणता प्रशंसनीय है क्योंकि वे निरन्तर बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की भावना के अपना कार्य करते रहते हैं। यूं सहकारी समितियों के लाभ का एक अंश इन कर्मचारियों को मिलता है किन्तु उनकी इस भावना से समितियों की प्रगति को विशेष बल मिला है कि व्यक्तिगत लाभ की भावना को सहकारिता की भावना पर हावी न होने दिया जाए।

यद्यपि भारत को इंगलैण्ड के सहकारिता आन्दोलन एवं वहां की उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना से प्रेरणा मिली है किन्तु भारत में इस प्रयत्न में इतनी सफलता नहीं मिली है। भारत में इस असफलता के निम्न कारण हैं :

भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी भण्डारों को अधिक महत्व नहीं दिया गया क्योंकि ग्रामीण जनता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करना पसन्द करती है। आवश्यकता है कि जनता में सहकारिता की भावना का प्रसार हो। भण्डारों के माध्यम से खरीदी हुई चीज वस्तुतः सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकती है और क्वालिटी भी अच्छी मिल सकती है। सहकारिता की भावना का अभाव होने के कारण और मिलजुलकर अपने हितों के लिए कार्य करने की भावना का अभाव भण्डारों की अकुशलता का कारण रहा है।

सरकारी क्षेत्रों में तो सहकारिता की भावना को बल मिला है किन्तु व्यक्तिगत रूप से जनता के सहयोग के बिना किसी आन्दोलन की सफलता अपना कोई अर्थ नहीं रखती।

भारतीय समितियों का संचालन दोषपूर्ण होने के कारण एवं कर्मचारियों में कार्य के प्रति लगाव एवं सहकारिता की भावना के महत्व को न स्वीकारने के कारण सहकारी समिति का कार्य संचालन अधिक कुशलता और निष्पक्षता के साथ नहीं हो पाया है।

भारतीय सहकारी भण्डारों की असफलता का एक कारण यह भी है कि हमारे देश में फुटकर और थोक दरों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। सहकारी भण्डारों की लाभ मात्रा इन दोनों दरों के अन्तर पर निर्भर रहती है। चूंकि वस्तुओं का विक्रय बाजार मूल्य पर ही रखना पड़ता है, अतः भण्डारों को अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता जबकि संचालन

[शेष पृष्ठ 16 पर

श्री अरविन्द की ग्रामभावना

अशोक

यह वर्ष विश्व भर में श्री अरविन्द की जन्म शताब्दी के रूप में मनाया जा रहा है। आज से सौ वर्ष पूर्व भारत की स्वतन्त्रता दिवस की तिथि को यानी 15 अगस्त 1872 को उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता डा० कृष्णधन घोष उस जमाने के मुताबिक अंग्रेजी भाषा और सभ्यता तथा संस्कृति के बड़े पुजारी थे। इसीलिए बालक अरविन्द को अंग्रेजी बोलना तो आता था पर अपनी मातृभाषा बंगला का ज्ञान उन्हें नहीं के बराबर था। सात वर्ष के अरविन्द को पढ़ाने के लिए डा० घोष इंगलैण्ड ले गए। वहां बालक अरविन्द को एक अंग्रेज पादरी के संरक्षण में रखा गया जिसे कड़ी आज्ञा थी कि अरविन्द न तो किसी भारतीय के सम्पर्क में आए और न ही उस पर भारतीयता का कोई प्रभाव पड़े। पर विधाता को कुछ और ही स्वीकार था और इक्कीस वर्ष की उम्र तक भारतीय संस्कृति और सभ्यता से अछूते रहने पर भी अरविन्द भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के प्रबल पोषक बन गए।

यह तो सभी जानते है कि श्री अरविन्द अत्यन्त मेधावी विद्यार्थी थे। इण्डियन सिविल सर्विस की कठिन परीक्षा उन्होंने पास करली थी, यद्यपि घुड़सवारी के टेस्ट में जानबूझ कर शामिल न होने के कारण उन्हें इण्डियन सिविल सर्विस में नहीं लिया गया था। भारतीय संस्कृति और भाषाओं में कोरे होने के बावजूद अपने तेरह वर्षीय बड़ोदा-निवास में उन्होंने न केवल संस्कृत, बंगला, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया बल्कि नीति शतक, मेघदूत, विक्रमोर्वशीय आदि ग्रन्थों का अनुवाद भी कर डाला। अभी वह इकतीस वर्ष के ही थे कि बम्बई से प्रकाशित होने वाले 'इन्दु प्रकाश' नामक पत्र में कई लेख लिखकर उन्होंने देश की पढ़ी-लिखी जनता को झकझोर दिया। वह उग्र पन्थी और क्रान्तिकारी थे। तत्कालीन उदार नेताओं के विपरीत वह अंग्रेजों से आजादी की भीख न मांगना चाहते थे, बल्कि अपने ही बलबूते पर उसे हासिल करना चाहते थे। पूर्ण स्वराज की मांग पहले पहल श्री अरविन्द ने ही रखी थी। अहिंसक और निष्क्रिय प्रतिरोध के वह सही मायनों में जन्मदाता थे। 1905 के बंग भंग विरोधी आन्दोलन के वह प्राण थे। पं० जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में—'इन पांच वर्षों (1905 से 1910) में वह जाज्वल्यमान उल्का की भांति चमके और देश के युवकों पर उनका जोरदार असर पड़ा (बंगाल में विभाजन विरोधी जो महान आन्दोलन चला, उसके पीछे मुख्यतः उन्हीं की प्रेरणा शक्ति थी और उसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए महान आन्दोलनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।'

बड़ोदा में ही पहली बार उन्होंने भारतीय दर्शन और गीता आदि धर्म ग्रन्थों का अध्ययन प्रारम्भ किया और योग साधना शुरू की और कुछ ही वर्ष में सिद्धि प्राप्त कर ली। बीसवीं शताब्दी के सबसे महान योगी के रूप में विश्व आज उनको नमन करता है।

परन्तु यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके आर्थिक विचार भी अत्यन्त क्रान्तिकारी थे। अपनी विलक्षण बुद्धि और सम्भवतया योगशक्ति के बल पर उन्होंने आज से 60-65 वर्ष से पहले जो विचार रखे वह आज भी बड़े समीचीन हैं और प्रेरक हैं।

गांवों के बारे में उनका निम्नलिखित उद्धरण हमारे सामुदायिक विकास कार्यकर्ताओं के लिए प्रकाशस्तम्भ का काम दे सकता है—'यदि हमें एक राष्ट्र के रूप में जीवित रहना है तो हमें अपनी शक्ति के उन केन्द्रों को फिर से सुदृढ़ बनाना होगा जो हमारे विकास के लिए स्वाभाविक भी हैं और आवश्यक भी। इन केन्द्रों में से पहला है हमारे भारतीय जीवन का पुराना स्तम्भ और भारत की शक्ति का रहस्य आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी ग्रामीण समाज। यही हमारे बाकी शक्ति केन्द्रों का भी आधार है। यदि हमें स्वराज को चलाना है तो इसका आधार गांव ही होना चाहिए। परन्तु साथ ही साथ हमें इस बात की भी सावधानी बरतनी चाहिए कि हम उन गलती से बचें जिसके कारण भूतकाल में हमारे देश की प्रगति रुक गई। हमारे नए राष्ट्रीय जीवन में गांव अलग-थलग, कटे हुए और अपने में ही निर्भर नहीं होने चाहिएं बल्कि अपने को अपने पड़ोसी गांवों आदि के साथ जुड़ा हुआ समझें, उनके साथ एक समूह बन कर, एक समान उद्देश्य के लिए प्रयास करें। इसी तरह गांवों का यह समूह अपने को जिले के जीवन का अभिन्न भाग समझे और जिले का एक अंग बन कर रहे। एक जिला भी अलग-थलग रहने का प्रयास न करे बल्कि प्रान्त के जीवन का भाग बने और प्रान्त देश के जीवन का।

★

देहाती इलाकों में चिकित्सा सुविधाएं

डा० दुरैस्वामी

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से हम लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं जिससे कि सदियों से पीड़ित ग्रामीण जनता को बीमारियों के चंगुल से बचाया जा सके। देश के गांवों में करीब 70 प्रतिशत जनता रहती है और देश के उत्पादन में इसका 50 प्रतिशत योगदान हैं। आखिर गांवों के इन लोगों को मुक्ति कैसे दिलाई जाए ? चलता-फिरता अस्पताल इस समस्या का एक समाधान है। स्थिति ऐसी है कि डाक्टर गांवों और देश के दूर-दूर के इलाकों में जाने से घबराते हैं। चलते-फिरते अस्पतालों से ग्रामवासियों को न केवल आधुनिक दवाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि उन्हें दवाखाने खोलने की प्रेरणा भी मिलेगी तथा वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू होने पर उसके सदस्य बनेंगे। इस समय गांव के कुछ ही लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। देहातों के ज्यादातर लोगों को लम्बा रास्ता तय करके शहर और जिलों के अस्पतालों तक जाना पड़ता है। उनकी बीमारियों का इलाज वहीं हो सकता है—और ये अस्पताल पहले से ही मरीजों से भरे पड़े हैं। दूर-दूर के अस्पतालों तक जाना न केवल महंगा है, बल्कि इससे उनके काम में भी बाधा आती है। वे अपना समय खेतों और दूसरे धन्धों में न लगाकर अस्पतालों के चक्कर में ही गंवा देते हैं।

1946 में समिति ने स्वास्थ्य तथा विकास का अध्ययन करने के बाद सिफारिश की थी कि गांवों में चिकित्सा का प्रबन्ध करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए।

आज की बात ही लीजिए। इस समय 20,000 लोगों के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाता है। इस केन्द्र के अस्पताल में बीमारों के लिए 75 बिस्तरों की व्यवस्था होती है। अस्पताल में 6 चिकित्सा अधिकारी और 6 नर्सें काम करती हैं। लेकिन स्थिति कहीं खराब है। अस्पताल में एक-तिहाई कर्मचारी हैं और उन्हें छह गुने ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करनी पड़ती है। 5,132 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 1,936 केन्द्रों में केवल दो-दो डाक्टर हैं और 169 केन्द्रों में तो डाक्टर है ही नहीं। जहां एक केन्द्र में 75 बिस्तरों की व्यवस्था होनी चाहिए, उनमें केवल 10-10 बिस्तरे ही हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए स्थायी भवन और रिहायशी क्वार्टरों की व्यवस्था करने के लिए समन्वित प्रयत्न किए गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी आधे से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पास अपने भवन और एक-तिहाई कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था की जा सकी है।

इस सन्दर्भ में एक और बात ध्यान देने योग्य है। चिकित्सा के स्तर में गिरावट आई है। जहां एक ओर चिकित्सा कालेजों की संख्या 25 से बढ़कर 57 हो गई है, वहां चिकित्सा शिक्षा देने वाले कर्मचारियों की संख्या में इस अनुपात से वृद्धि नहीं हो पाई है। विशेषज्ञों को विदेशों में जाने से रोकने के लिए चौथी योजना के अन्त तक प्रति वर्ष 10,000 नए चिकित्सा स्नातकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना आवश्यक है। लेकिन इससे नगरों में डाक्टरों की बाढ़ सी आ जाएगी और गांवों में, डाक्टरों के लिए नौकरियां होने के बावजूद, डाक्टरों की कमी रहेगी। अतः यह आवश्यक है कि चिकित्सा के विद्यार्थियों को देहातों में सेवा के लिए तैयार किया जाए।

भारत सरकार के हाल ही के एक निर्णय के अनुसार प्रत्येक चिकित्सा कालेज में एक चलते-फिरते अस्पताल में प्रशिक्षण तथा सेवा की व्यवस्था होगी तथा यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का अंग होगा।

यह योजना पूरी हो जाने के बाद एम० बी० बी० एस० (अन्तिम वर्ष) के करीब 11,000 विद्यार्थी, 10,000 प्रशिक्षणार्थी, 10,000 हाउस सर्जन, 3,000 स्नातकोत्तर छात्र और 5,000 नर्सिंग के अन्तिम वर्ष के छात्र हर वर्ष 97 चलते-फिरते अस्पतालों में नौकरी के साथ प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे। हर चलते-फिरते अस्पताल में बिजली पैदा करने का एक यन्त्र और अस्पतालों में काम करने वाले दूसरे औजार होंगे।

चिकित्सा दल इलाज करने के साथ-साथ महामारियों से सम्बन्धित आंकड़े व अन्य जरूरी जानकारी एकत्र करेगा। कहीं भी महामारी फैलने के समय एक या एक से अधिक चलते-फिरते अस्पताल तुरन्त महामारी वाले क्षेत्र में जाएंगे और महामारी की रोकथाम के लिए कार्य करेंगे। चलते-फिरते अस्पतालों ने बंगला देश के विस्थापितों को बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए क्या-क्या किया यह तो सभी जानते हैं।

ये अस्पताल गांव वालों को अपने छोटे-छोटे अस्पताल और दवाखाने खोलने के लिए भी तैयार करेंगे। इससे अनेक

नए चिकित्सा स्नातकों को रोजगार मिल सकेगा। इस योजना के अन्तर्गत विदेशों से लौटे अनेक विशेषज्ञों को तथा देश में बेरोजगार विशेषज्ञों को रोजगार दिया जा सकेगा। तमिलनाडु सरकार पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि यदि गांव के लोग कुछ योगदान करने के लिए तैयार हों, तो वह उन्हें डाक्टर दे सकती है।

साथ ही नसबन्दी और महिलाओं को लूप लगाने का काम करने वाले 3 चलते-फिरते अस्पतालों का उपयोग चिकित्सा कार्यों के किए किया जा सकता है। ऐसे सभी जिलों में, जहां परिवार नियोजन कार्य जोर-शोर से किया जा रहा है, 7 चलते-फिरते अस्पताल हैं।

गांवों में चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए 21 चलते-फिरते अस्पतालों के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से तमिलनाडु (मदुरै), महाराष्ट्र (औरंगाबाद), गुजरात (बड़ौदा), राजस्थान (अजमेर), और उत्तर प्रदेश (लखनऊ) के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के एक-एक ऐसे अस्पतालों की व्यवस्था है। इनके लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय 3 लाख 10 हजार रुपए और हर वर्ष 2 लाख 40 हजार रुपए की राशि देगा। ऐसे हर राज्य, जहां मेडिकल कालेज हैं, के लिए एक-एक चलते-फिरते अस्पताल की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति कुल 16 अस्पतालों के लिए है।

पिछले साल 15 अस्पताल शुरू किए गए थे। ये चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के अलावा सर्वेक्षण कार्य भी कर रहे हैं। इन अस्पतालों ने औरतों और मर्दों के गर्भ निरोधक आपरेशन भी किए हैं।

आशा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 93 जिलों में चलते-फिरते अस्पताल हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी देश के 257 जिलों में इस तरह अस्पतालों की व्यवस्था न हो पाएगी। यही कारण है कि स्वास्थ्य मन्त्रालय के "मास्टर प्लान" में अंशदान के आधार पर, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बाकी गांवों में चलते-फिरते अस्पताल और दवाखाने शुरू करने की व्यवस्था की गई है।

हमारे और इंगलैण्ड के उपभोक्ता भण्डार .. [पृष्ठ 13 का शेषांश]

व्यय अधिक हो जाता है।

इन कारणों के साथ ही उधार विक्रय का प्रचलन, धनाभाव एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव भी भण्डारों की सफलता में बाधक बने हैं। मूलतः असफलता का कारण दोषपूर्ण संचालन व्यवस्था एवं सहकारिता की भावना का अभाव ही कहा जाएगा। यदि इंगलैण्ड की भांति ही सहकारिता की भावना यहां जोर पकड़ ले तो भारतवासी सहकारिता आन्दोलन से काफी लाभान्वित हो सकते हैं। बढ़ते मूल्य एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की अधिकता जैसी समस्याएं सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के माध्यम से आसानी से सुलझाई जा सकती हैं। यदि इन भण्डारों की संचालन व्यवस्था सुधारी जाए और अधिकाधिक सदस्य भण्डारों की सुविधा का लाभ उठाने लगें तो बाजार दर से मिलने वाली वस्तुओं की अपेक्षा भण्डारों से खरीदी गई वस्तुएं अधिक लाभ दे सकेंगी। होता यह है कि विक्रय के लिए बहुत कम सामान खरीदा जाता है क्योंकि खरीदने वाले कम होते हैं जिससे बाजार मूल्य से कुछ ही कम का लाभ सदस्यों को मिल पाता है जो उनके लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता। यदि अधिक खरीद की जाए तो लाभ की मात्रा भी स्वतः बढ़ जाएगी।

भण्डारों की सफलता के लिए यह तो आवश्यक है ही कि ग्रामीण जनता इनमें अधिक से अधिक रुचि ले ताकि ये भण्डार अपना विस्तार कर अपने सदस्यों को अधिक से अधिक लाभान्वित कर सकें। जनता की इनमें रुचि न होने के कारण कर्मचारियों की सहकारिता के प्रति रुचि कम होती जाती है और जब दोनों ही पक्ष रुचि न लें तो भण्डारों की कार्यकुशलता को गिरने से कौन रोक सकता है?

नई योजनाएं, नए कदम

त्रिलोकीनाथ

भारत में समाजवाद की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना ही नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को, विशेषतया पिछड़े वर्ग को सामाजिक न्याय तथा उन्नति के अवसर प्रदान करना है। विकास की प्रक्रिया को स्वावलम्बनशील और आत्म-निर्भर बनाने के लिए आवश्यक है कि आर्थिक विकास की प्रत्येक योजना की गति ग्रामीण विकास की दिशा में हो। वास्तव में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी अर्थव्यवस्था में समानता लाने के आदर्श को सामने रखकर ही शुरू किया गया था। इसके लिए जरूरी तो यह था कि कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं तथा सुविधाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता। पिछले 20 वर्षों में हमने आर्थिक विकास की दिशा में काफी लक्ष्य प्राप्त किए हैं, पर सामाजिक न्याय की दृष्टि से अपेक्षित सफलता अभी नहीं मिली है। अभी तक चलाए गए कायक्रमों में धनी व प्रभावशाली वर्ग को विशेष लाभ पहुंचा हैं जबकि निर्धन व कमजोर वर्ग के लोग इस लाभ से वंचित रहे हैं। हरित क्रान्ति का लाभ भी बड़े किसानों और धनी वर्ग तक ही सीमित रहा है और नतीजा यह है कि गांवों में असमानता बढ़ रही है।

रोजगार योजना

देश के अधिकांश भागों में रोजगार की स्थिति सुधारने के लिए तथा स्थायी और उत्पादक पूंजी निर्माण के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनमें एक योजना है ग्रामीण रोजगार के लिए "क्रेश स्कीम"। यह योजना देश भर में चुने हुए जिलों में शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत खण्ड को एजेन्सी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। बेरोजगारी की समस्या उन मजदूरों के लिए अधिक गम्भीर है जो मजदूरी पर काम करते हैं। उन गरीब लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और विकास की गति में तेजी लाना ही इस योजना का उद्देश्य है।

योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में एक साल में लगभग 2 लाख 20 हजार जनदिन के बराबर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 1973-74 तक योजना की अवधि के तीन वर्ष पूरे हो जाएंगे और अनुमान है कि इस योजना पर 1 अरब 50 करोड़ रुपए सालाना खर्च आएगा।

छोटे किसान

1960-70 के दशक में खेती के तरीकों में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। पुराने तरीकों की जगह आधुनिक उन्नत तकनीकें प्रयोग में लाई जाने लगी हैं और कृषि उत्पादन में जोरदार वृद्धि हो रही है। पर इसका असल लाभ बड़े किसानों को ही मिला है, वे और भी बड़े हो गए हैं जबकि छोटे किसान बेचारे जहां के तहां हैं। उनके बीच की दूरी और बढ़ गई है। देश में 70 प्रतिशत किसानों के पास तो 7.5 एकड़ से छोटी जोतें हैं ही, साथ ही 2 करोड़ जोतें 2.5 एकड़ से भी छोटी हैं। इससे बिलकुल साफ पता चलता है कि अधिकतर किसान छोटे ही हैं और समस्याओं की ओर उचित ध्यान दिए बिना कृषि में वास्तविक प्रगति नहीं की जा सकती।

इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने 1969-70 में लघु और सीमान्त कृषकों और कृषि मजदूरों के लाभ के लिए दो प्रायोगिक योजनाएं शुरू कीं—लघु कृषक विकास एजेन्सी और सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक विकास योजना। इन योजनाओं पर चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 115 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है।

प्रत्येक लघु कृषक विकास एजेन्सी क्षेत्र में 50,000 परिवारों को ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस प्रकार अल्पावधि ऋणों के रूप में योजना के पहले साल 25 करोड़ रुपए दिए जाने की व्यवस्था थी जबकि अन्तिम वर्ष तक यह राशि एक अरब रुपए तक पहुंच जाएगी। परियोजनाकाल में 2 अरब रुपए मध्यावधि और दीर्घावधि ऋणों के रूप में वितरित किए जाने की व्यवस्था है और इस प्रकार 8 अरब रुपए की राशि पूरी हो जाएगी।

माध्यम

लघु कृषक विकास एजेन्सी के लिए क्षेत्र का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि सहकारी ढांचा काफी मजबूत हो और ऋण वितरण कार्यों को पूरा कर सके। सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक योजना के क्षेत्रों में सहकारियों जैसी संस्थात्मक एजेन्सियों का एक ढांचा हो, या एक ऐसा ढांचा बनाया जाए ताकि उस क्षेत्र के लोग सामूहिक कार्यों के लिए इकट्ठे हो सकें। इस समय 87 क्षेत्रों में 53 सहकारी बैंकों को एजेन्सियों की सहायता की आवश्यकता है ताकि वे रिजर्व बैंक से मंजूर किए गए

[शेष पृष्ठ 36 पर

उत्पादन वृद्धि में कृषक चर्चा मण्डलों का योग

ओमप्रकाश मिश्र

हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना में खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए दो बातों पर मुख्यरूप से बल दिया गया है। प्रति एकड़ अधिक पैदावार लेना और वर्ष में एक खेत में अधिक से अधिक फसलें पैदा करना। इस उद्देश्य की सफलता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रत्येक श्रेणी का कृषक, चाहे छोटा हो या बड़ा, सघन कृषि कार्यक्रम में यथासम्भव सक्रिय भाग ले। कृषि जगत् में आज अनुसन्धानों ने क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिए हैं। पावर थ्रेसर, ट्रैक्टर, ट्यूबवैल तथा अन्य उन्नतिशील कृषि यन्त्र, बीजों की नई-नई किस्में, नए नए उर्वरक, फसल सुरक्षा सम्बन्धी औषधियां, भूमि संरक्षण तथा जल संरक्षण का ज्ञान प्रत्येक कृषक के लिए परमावश्यक हो गया है। हर किसान में अधिक पैदावार लेने की होड़ लगी है। वह इस दौड़ में आगे बढ़ना चाहता है, जिसका रहस्य है—इन नवीन प्रविधियों का प्राविधिक ज्ञान।

भारत सरकार ने सघन कृषि कार्यक्रम को साकार रूप देने के लिए देश के 100 जिलों में "कृषक प्रशिक्षण एवं शिक्षण कार्यक्रम" (किसान विद्यापीठ) चलाने की योजना तैयार की जिसके अन्तर्गत प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, बकेवर में इटावा जनपद हेतु 2 अक्तूबर, 1969 को "किसान विद्यापीठ" में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा कृषकों को अधिक उपज देने वाली जातियों की खेती की सघन कृषि विधियां, पैकेज आफ प्रैक्टिसेज, मुद्रा-परीक्षण, उर्वरकों का प्रयोग, कीट व रोग नाशक दवाओं का प्रयोग, कृषि यन्त्रों का प्रयोग तथा अन्न भण्डारण आदि की जानकारी दी जाती है जिससे वे अपने खेतों पर उच्च उत्पादन देने वाले बीजों की वैज्ञानिक खेती से अधिक कृषि उत्पादन लेने में समर्थ हो सकें। "किसान विद्यापीठ" योजना के 4 मुख्य अंग हैं :— 1. अल्पकालीन संस्थागत प्रशिक्षण, 2. कृषक चर्चा मण्डल, 3. एक दिवसीय उत्पादन सह प्रदर्शन शिविर और 4. राष्ट्रीय प्रदर्शन।

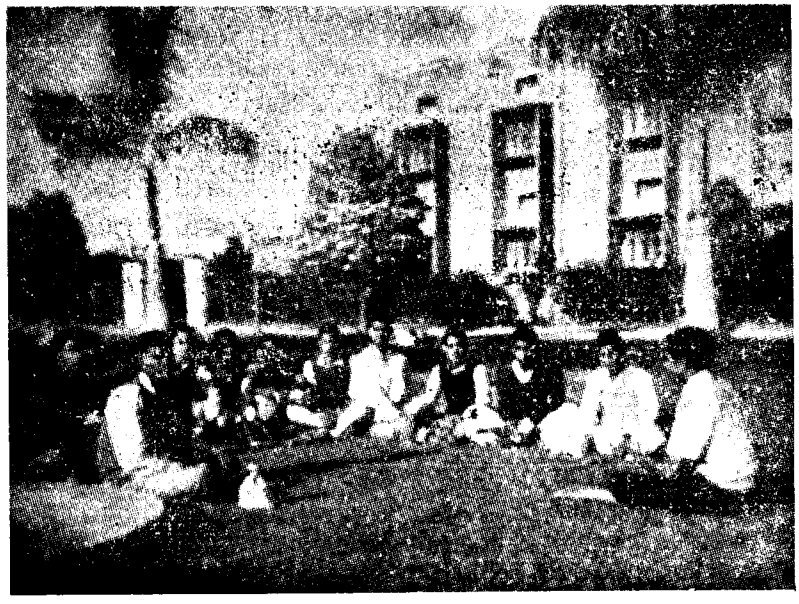

कृषक चर्चा मण्डल 20 प्रगतिशील कृषक या कृषक महिलाओं का स्वेच्छा-पूर्वक गठित एक संगठन है जिसका अपना एक संयोजक होता है। कृषक चर्चा मण्डल की सप्ताह में दो बार बैठकें होती हैं। चर्चा मण्डल के संचालन का दायित्व संयोजक पर होता है। कृषक चर्चा मण्डल का मूल उद्देश्य अधिक उपज देने वाली जातियों की खेती के प्राविधिक ज्ञान पर चर्चा करना, सदस्यों की कृषि सम्बन्धी समस्याओं एवं शंकाओं का निराकरण करना, शंका समाधान के लिए किसान विद्यापीठ केन्द्र से पत्र-व्यवहार करना, सदस्यों की प्रगति एवं अनुभवों पर चर्चा, रेडियो प्रसारण सुनना एवं उस पर चर्चा तथा प्राप्त कृषि साहित्य का अधिकाधिक सदुपयोग करना है। अधिक उत्पादन देने वाली जातियों की खेती करने वाले कृषक चाहे शिक्षित हों या अशिक्षित, कृषक चर्चा मण्डल के सदस्य होते हैं। एक गांव सभा में एक या एक से अधिक चर्चा मण्डल होते हैं। 1971-72 के अन्त तक इटावा जनपद में 240 कृषक चर्चा मण्डल संगठित किए जा चुके है जिसमें 4,684 कृषक सदस्य भाग लेकर सघन कृषि कार्यक्रम में अपना सक्रिय योगदान कर रहे हैं। 10 महिला कृषक चर्चा मण्डल संगठित हुए हैं जिनमें 201 कृषक महिलाएं सदस्य हैं। अभी 50 और महिला कृषक चर्चा मण्डल संगठित किए जा रहे हैं।

किसान विद्यापीठ केन्द्र बकेवर में

कृषक चर्चा मण्डल के सफल संचालन हेतु संयोजकों को त्रिदिवसीय शिविरों में प्रशिक्षित किया गया है। ये संयोजक सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार, सायंकाल नियमित रूप से बैठक करते हैं जिसमें रेडियो प्रसारण सुनना एवं उस पर चर्चा करना, सदस्यों की समस्याओं पर विचारविमर्श तथा प्राप्त होने वाले पत्रों को पढ़कर सदस्यों को अवगत कराना मुख्य है। संयोजक अपने कृषक सदस्यों की कृषि सम्बन्धी समस्याओं एवं शंकाओं के निराकरण के लिए किसान विद्यापीठ केन्द्र, बकेवर, उत्तरप्रदेश; कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर; गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, नैनीताल तथा अन्य अनुसन्धान केन्द्रों से निरन्तर पत्र-व्यवहार करते रहते हैं। 1971-72 के अन्त तक किसान, विद्यापीठ केन्द्र, बकेवर द्वारा 1,439 पत्रों के उत्तर संयोजकों को भेजे गए। यही नहीं, 8,563 संयोजकों, सदस्यों तथा कृषकों ने आकर केन्द्र पर अपनी शंकाओं का हल ढूंढा। इन चर्चा मण्डलों को "खेती" व "कृषि और पशुपालन" मासिक पत्रिकाएं एवं केन्द्र द्वारा प्रकाशित कृषि ज्ञान दर्शन, मासिक परिपत्र भेजा जा रहा है। 46 कृषि सम्बन्धी बुलेटिन भेजे जा चुके हैं जिनका कृषक सदस्य अध्ययन कर सघन कृषि विधियां अपना रहे हैं और कृषि उत्पादन वृद्धि में अपना योगदान कर रहे हैं।

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर, नैनीताल के विषय विशेषज्ञों द्वारा आयोजित जनपद के राष्ट्रीय प्रदर्शनों से इन कृषक चर्चा मण्डलों का घनिष्ठ सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। कृषक चर्चा मण्डलों के संयोजक एवं सदस्य राष्ट्रीय प्रदर्शन स्थल पर जा कर उच्च उत्पादन देने वाली जातियों की खेती की समस्याओं पर विशेषज्ञों से विचार विमर्श करते हैं एवं कठिनाइयों का निराकरण करते हैं। इन राष्ट्रीय प्रदर्शनों का 3,866 कृषक चर्चा मण्डल के कृषक सदस्य दृश्यदर्शन का लाभ उठा चुके हैं। 172 संयोजक तथा सदस्य उत्तरप्रदेश कृषि संस्थान कानपुर तथा अन्य अनुसन्धान केन्द्रों का अध्ययन कर चुके हैं।

पुरुषों की भांति ही महिला कृषक चर्चा मण्डलों की भी सप्ताह में दो बार नियमित रूप से बैठकें होती हैं जिसमें रेडियो प्रसारण सुनना, नवीन किस्म के बीजों, उर्वरकों, कीट व रोगनाशक दवाओं, अन्न भण्डारण, पौष्टिक आहार पर चर्चा होती है। गत वर्ष सब्जी अनुसन्धान केन्द्र कल्याणपुर, कानपुर तथा उत्तरप्रदेश कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर का अध्ययन कराया गया है जिससे इनमें कृषि उत्पादन वृद्धि में सक्रिय योगदान करने की लालसा तीव्र हो गई है।

आकाशवाणी केन्द्र लखनऊ द्वारा संयोजकों, सदस्यों तथा राष्ट्रीय प्रदर्शन करने वाले कृषकों की वार्ताएं प्रसारित कराई जाती है। संयोजकों द्वारा भेजे गए पत्रों के उत्तर भी आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कराए जाते हैं। इस कार्यक्रम से संयोजकों में नवीन जानकारी प्राप्त करने की रुचि पैदा हो गई है और खेती की पैदावार बढ़ने के लिए नवीन तकनीकों का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया गया है। किसान विद्यापीठ केन्द्र तथा विकास खण्ड के अधिकारी इन चर्चा मण्डलों से निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं। वे इन गांवों में दौरे के समय कृषक चर्चा मण्डल के संयोजकों से मिलकर उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। कृषक चर्चा मण्डल के संयोजकों अथवा सदस्यों को नवीन बीज, खाद, दवा, कृषि यन्त्र तथा ऋण आदि में प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इस प्रकार ये कृषक चर्चा मण्डल जनपद के कृषकों को एक नई ज्योति तथा प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। ◇

आजादी की वर्दी.....[पृष्ठ 1 का शेषांश]

संकल्पबद्ध किया जाएगा। योजना को अमल में लाने के लिए जगह जगह खादी और ग्रामोद्योगों की वस्तुओं की लगभग दो सौ प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी और खादी धारण करने वाले परिवारों को खादी पर कुछ विशेष छूट भी दी जाएगी। उनके लिए एक कार्ड भी जारी किया जाएगा जिस पर महात्मा गांधी का चित्र छपा होगा और जिसके अन्तिम पृष्ठ पर ये संकल्प भी छपे होंगे : (1) स्वदेशी का इस्तेमाल (2) ग्रामोद्योग की वस्तुओं का उपयोग (3) नशाबन्दी का समर्थन (4) जातिवाद और साम्प्रदायिकता का पूर्णतः त्याग (5) यदि जमीन हो तो उसके 20वें भाग का किसी भूमिहीन को दान तथा (6) सभी समस्याओं का अहिंसक तरीके से समाधान। इसके अलावा, रेडियो, टेलिविजन, समाचार पत्र तथा जन संचार के अन्यान्य माध्यमों और साधनों को भी योजना के प्रचारार्थ काम में लाया जाएगा।

इसमें शक नहीं कि यह एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है कि यदि इसे सच्चे दिल से अमल में लाया जाए और उत्साही निष्ठावान् तथा तपे हुए कार्यकर्त्ता इसमें जुटें तो कोई वजह नहीं कि देश में फिर से स्वदेशी की भावना पैदा न हो। इससे न सिर्फ स्वदेशी की भावना ही पनपेगी बल्कि एक ऐसा वातावरण बनेगा जिसमें व्यक्ति अपने चरित्र को ऊंचा उठा सकेगा और अन्त में राष्ट्र के चरित्र का उत्थान होगा। इस योजना को अमल में लाने से एक खास लाभ यह भी होगा कि कुछ समय से खादी तथा ग्रामोद्योग के बिक्री संस्थानों में व्यापारिक दृष्टिकोण की जो प्रधानता आ गई थी वह गौण हो जाएगी और वे स्वदेशी के प्रचार के वाहक बन जाएंगे। साथ ही इन संस्थानों को यह ध्यान भी रखना होगा कि ग्राहकों को सस्ता, बढ़िया तथा टिकाऊ माल उपलब्ध किया जाए ताकि उनमें स्वदेशी वस्तुओं के प्रति अनुराग पैदा हो और लोगों की यह धारणा निर्मूल हो सके कि स्वदेशी माल विदेशी माल से घटिया और कम टिकाऊ होता है। इससे जहां देश में खादी तथा ग्रामोद्योगों के माल की खपत बढ़ेगी वहां इन उद्योगों का उत्तरोत्तर विकास होता चला जाएगा और फलस्वरूप गांवों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। ★

बारानी खेती से अधिक उपज कैसे लें ?

हमारे देश में कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 16.3 करोड़ हैक्टर है, जिसमें से लगभग 6.8 करोड़ हैक्टर क्षेत्र बारानी अर्थात् असिंचित है। देश में 28 जिले ऐसे हैं जिनमें निम्न से मध्य दर्जे अर्थात् 112.5 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है और वहां पर सिंचाई की सुविधाएं बहुत ही सीमित हैं। इन क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जिनमें 37.5 सेंटीमीटर से कम और 75.0 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जिसमें राजस्थान का मध्य भाग, गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र, महाराष्ट्र और मैसूर के पश्चिमी घाट के क्षेत्र सम्मिलित हैं। 25 जिले उस क्षेत्र में आते हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 1.8 करोड़ हैक्टर है और वहां केवल 5 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। 91 जिले मुख्यतः मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, मैसूर और तमिलनाडु व हरियाणा के कुछ भागों में स्थित हैं। बारानी क्षेत्रों में कुल बोया जाने वाला क्षेत्र अनुमानतः 4.2 करोड़ हैक्टर है, जिसमें से केवल 50 लाख हैक्टर क्षेत्र सिंचित है। कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि कुल कृषि उपज का 42 प्रतिशत भाग बारानी खेती से प्राप्त होता है। कृषि की वर्तमान समस्याओं में बारानी खेती का स्थान सर्वोपरि आता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कृषि उपज में सर्वाधिक अस्थिरता पाई जाती है। बारानी क्षेत्रों से अधिक उपज लेने के लिए अनुसन्धान कार्य चल रहे हैं और इस दिशा में काफी सफलता मिली है। इस लेख में उन उपायों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें अपना कर कृपक अधिक उपज ले सकते हैं।

(अ) जल संरक्षण के प्रमुख ढंग

बारानी खेती की प्रमुख समस्या जल संरक्षण की है। इन क्षेत्रों में जल संरक्षण विधियों को अपना कर कृषि उपज बढ़ाई जा सकती है। जल संरक्षण की विभिन्न विधियां हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विधियों का विवरण नीचे दिया गया है।

1. भूमि समतल करना

जल संरक्षण के लिए सबसे पहला कार्य खेत को समतल करना है, जिससे वर्षा का जल खेतों में फैले और प्रत्येक स्थान पर समान रूप से जल शोषण हो सके। ऐसा न करने से निचले स्थान में जल एकत्रित हो जाता है जबकि ऊंचे स्थल सूखे रह जाते हैं। उत्तरप्रदेश कृषि विज्ञान संस्थान कानपुर ने रबी की फसलों पर ढलवां भूमि पर खेती करके अनुसन्धान किया है कि फसलों की उपज भूमि का ढाल बढ़ने पर कम होती जाती है और 3-4 प्रतिशत ढाल पर समतल भूमि की अपेक्षा आधी से कम उपज मिलती है।

गंगाशरण सैनी

भूमि को समतल करने के लिए आधुनिक कृषि यन्त्रों का प्रयोग करें, जिनमें फ्लोट, लेवलर, स्क्रेपर कराह, बहुद्देशीय ब्लेड हैरेमर आदि मुख्य हैं। जल संरक्षण से दो प्रमुख लाभ होते हैं—भू क्षरण नियन्त्रण और भूमि की जल संचय क्षमता में वृद्धि।

2. कड़ी परत तोड़ना

इन क्षेत्रों में आमतौर से कृषक देशी हल का प्रयोग अधिक करते हैं, जो एक ही गहराई पर बार बार चलने के कारण भूमि की निचली सतह में एक कड़ी परत का निर्माण कर देता है जिसके कारण न तो वर्षा का जल उस कड़ी परत से नीचे जा सकता है और न पौधे की जड़ें ही उसमें प्रवेश कर सकती है, जो बाद में कड़ी परत के सामानान्तर बढ़ना शुरू कर देती हैं जिसके कारण पौधे छोटे रह जाते हैं। इस कड़ी परत को तोड़ने के लिए "सब सोइलर" यन्त्र को चलाएं। यह यन्त्र भूमि की खुदाई करता है न कि जुताई (पलटाई)। यदि यन्त्र उपलब्ध न हो तो मिट्टी पलटने वाले हल से बार बार आसपास जुताई करें। यह कार्य 2-3 वर्ष बाद फिर करना चाहिए, ताकि कड़ी परत का फिर निर्माण न हो। कड़ी परत तोड़ने से भूमि की जल शोषण शक्ति में बढ़ोत्तरी होती है, दूसरे पौधे की जड़ें नीचे जाकर उपलब्ध नमी का सदुपयोग कर लेती हैं, जिससे उपज में भी वृद्धि हो जाती है।

3. समोच्च कृषि

आम तौर से ऐसा देखा गया है कि कृषक ढलवां भूमि पर ढाल के समानान्तर जुताई करते हैं, जिसके कारण वर्षा ऋतु में जल के साथ मिट्टी भी बह कर निचले स्थानों पर चली जाती है। मिट्टी के साथ पौधे के पोषक तत्व भी बह जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होती रहती है। इस हानि से बचाव के लिए कृषकों को चाहिए कि वे समोच्च कृषि का ढंग अपनाएं। समोच्च कृषि से हमारा अभिप्राय यह है कि ढलवां खेतों की जुताई, हैरो चलाना, बुवाई व अन्य कृषि कार्य समोच्च रेखा के समानान्तर किए जाएं, ताकि निर्मित खूण्ड या डोलियां रोधक बंध का कार्य सम्पन्न हो सके। भूमि संरक्षण विशेषज्ञों के मतानुसार समोच्च कृषि एक प्रभावोत्पदक ढंग है। सम्मोच्च कृषि भू-क्षरण की गति एवं मात्रा पर विशेष प्रभाव डालती है। इस पद्धति की प्रभावोत्पादकता भूमि की किस्म, ढाल व उसकी लम्बाई, वर्षा की

तीव्रता, वितरण एवं मात्रा पर निर्भर करती है।

4. पट्टीदार कृषि

पट्टीदार कृषि में भू क्षरण सहायक फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, आलू आदि व क्षरण अवरोधक फसलें जैसे मूंगफली, उर्द, मूंग, मसूर, सोयाबीन, दालें व फलीदार फसलों को एक के बाद दूसरी पट्टियों में उगाया जाता है। पट्टीदार कृषि में फसल चक्र अपनाना भी अत्यन्त आवश्यक है। इन फसलों के लिए ढाल के विपरीत जुताई करके व उर्वरक डालकर एक के बाद दूसरी पतली पट्टियों में बुवाई करें। पट्टीदार कृषि चार प्रकार की होती है, जिनका चुनाव भूमि ढलान, भू-क्षरण की मात्रा एवं गति, वायु की गति व दिशा पर निर्भर करता है। इस प्रणाली को अपनाते समय कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है जिसमें कृषि प्रणाली के अनुकूल होना, उचित वनस्पति उगाना, उचित फसल चक्र पद्धति अपनाना, जहां तक सम्भव हो सके पट्टियों को समोच्च रेखा के समानान्तर रखना, पट्टियों की चौड़ाई निर्धारित करते समय भूमि ढलान, वर्षा और भूक्षरण की मात्रा आदि प्रमुख हैं।

5. समोच्च बंध

1½-2 प्रतिशत भूमि ढलान वाले क्षेत्रों में समोच्च रेखा पर बंध बनाएं। आमतौर से 8 वर्ग फीट क्रास सेक्शन के बंध बनाए जाते हैं। बंध का क्रास सेक्शन मुख्यत: भूमि के ढलान पर निर्भर करता है। ऐसा करने से भूमि का ढाल छोटे छोटे समतल भागों में विभक्त हो जाता है। समोच्च बंध निर्माण के लिए भूमि संरक्षण अधिकारी से सलाह लें। समोच्च बंधों के निर्माण से जल संरक्षण अधिक मात्रा में होता है और भूक्षरण की गति व मात्रा पर काफी प्रभाव पड़ता है। बंधों के निर्माण के उपरान्त उनमें "संरक्षित कृषि" विधियां अपनाएं। ऐसा करने से उपज अधिक मिलती है।

(ब) अन्य उपयोगी ढंग

फसलों की जल की आवश्यकता भिन्न-भिन्न होती है। कुछ फसलें अधिक जल चाहती हैं, जिनमें गन्ना, धान, आलू, बरसीम मुख्य हैं और कुछ फसलें मध्यम मात्रा में जल चाहती हैं, उनमें कपास, मक्का, ज्वार, तम्बाकू, मूंगफली और बौने गेहूं मुख्य हैं और कुछ फसलें ऐसी हैं जिन्हें कम जल की आवश्यकता होती है, जैसे चना, मटर, उर्द, मूंग व अलसी। बारानी क्षेत्र में नमी की समस्या होती है इसलिए कृषकों को चाहिए कि वे अपने खेतों में कम जल की आवश्यकता वाली फसलें उगाएं।

गहरी जड़ वाली फसलें

बारानी क्षेत्रों में फसल चुनाव के समय इस बात का ध्यान रखें कि कम जल चाहने वाली फसलों के साथ, उनकी जड़ें गहरी जाने वाली हों क्योंकि उन फसलों में सूखे को सहन करने की विशेष क्षमता होती है। दूसरे उनकी जड़ें उपभूमि से उपलब्ध नमी का उपयोग कर लेती हैं। यही कारण है कि वे बारानी भूमि में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। गहरी जड़ वाली फसलों में सरसों, लाही, कपास, अरहर, लुसर्न आदि प्रमुख हैं।

फसल चक्र

बारानी क्षेत्रों में उचित फसल चक्र का विशेष महत्व है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर उचित फसल चक्र पद्धति का प्रयोग करें। उचित फसल चक्र में कम समय में तैयार होने वाली फसलों का प्रयोग करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके साथ उनकी जल आवश्यकता भी कम होनी चाहिए और उनकी जड़ें अधिक गहराई तक जाने वाली हों। रबी में ढलवां भूमि में चना व लाही फसलें अच्छी रहती है। उत्तरप्रदेश कृषि विज्ञान अनुसन्धान संस्थान, कानपुर में इन क्षेत्रों के लिए उचित फसल चक्र ज्ञात करने के लिए विभिन्न परीक्षण किए हैं जिनके कुछ आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

फसल चक्र	उपज क्विण्टल प्रति हैक्टर	
	दाना	चारा
1. पड़ती-जौ	9.3	174.0
2. मूंग या उर्द-जौ	10.8	115.0
3. लोबिया या ज्वार-जौ	8.7	176.0
4. चरी ज्वार-जौ	8.8	375.2

इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान नई दिल्ली ने भी बारानी खेती के लिए "फसल कैफीटेरिया" बनाया है, जिसमें से कृषक अपनी भूमि व अन्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार चुनाव कर सकते हैं।

उर्वरकों का प्रयोग

आमतौर से कृषक बारानी खेती में उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं जिसके कारण उपज बहुत कम मिलती है। बारानी खेती में उर्वरकों का प्रयोग एक नवीन पद्धति समझी जाती है। इस नवीन परिवर्तन को अपनाना बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य है। पौधों के आहार में पौषक तत्वों की लगातार पूर्ति करने से अधिक उपज ली जा सकती है। इन क्षेत्रों में संरक्षित नमी को उचित ढंग से उपयोग के लिए उर्वरकों का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है। बारानी खेती में सिंचित खेती की अपेक्षा कम उर्वरकों की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसलों के लिए 60-90 किलोग्राम नत्रजन और 30-45 किलोग्राम फास्फोरिक अम्ल देना चाहिए और रबी की खाद्यान्न फसलों के लिए 30-60 किलोग्राम नत्रजन उचित रहता है। असिंचित क्षेत्रों में उर्वरक देने की विधियां निम्न हैं :

इस विधि में उर्वरकों को हल में होरा बांध कर या ड्रिल द्वारा 5-6 सेंटीमीटर की गहराई पर डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पौधों की जड़ें नियमित रूप से तत्वों को लेती रहती हैं, जिससे उपज अधिक मिलती है।

बारानी खेती में 2.5 प्रतिशत यूरिया का छिड़काव उचित पाया गया है। पत्तों

द्वारा यूरिया का नत्रजन घोल के रूप में पौधे अधिक क्षमता के साथ उपयोग करते हैं तथा उर्वरक के खर्च में कमी हो जाती है। यूरिया के साथ फफूंदीनाशक, कीट-नाशक तथा खरपतवार नाशक दवाओं को भी मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। जमीन में उर्वरक देने की अपेक्षा छिड़काव द्वारा केवल आधी मात्रा पर्याप्त होती है जिससे उपज अधिक मिलती है। गेहूं की बुवाई के लगभग 45 दिन बाद पहला छिड़काव करें तथा दूसरा छिड़काव बालियां निकलने से पूर्व करें।

पौध संरक्षण

कृषि वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि बारानी क्षेत्रों में पौध संरक्षण विधियों का समयानुसार प्रयोग कृषि उपज बढ़ाने का एक उत्तम ढंग है। इसलिए कृषकों को चाहिए कि वे अन्य कृषि विधियों के साथ पौध संरक्षण विधियों का नियमित रूप से प्रयोग करें। बारानी क्षेत्रों में साधारणतः फसलें कमजोर होती है जिस कारण उन पर रोगों व कीटों का प्रकोप अधिक होता है, इसलिए पौध संरक्षण की रोधक एवं उपचार दोनों विधियों का उचित समय व ढंग से प्रयोग करें ताकि फसलों से अधिक उपज ली जा सके।

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 24 अग्रगामी परियोजनाओं को चलाने के लिए 29 करोड़ रुपए और 24 अनुसन्धान केन्द्रों के लिए 1.48 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन केन्द्रों पर अनुसन्धान कार्य शुरू हो चुका है जबकि 23 अग्रगामी परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है। एक परियोजना उदयपुर में आरम्भ होनी बाकी है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कृषकों के लिए ऋण व अनुदान का प्रबन्ध करना अत्यन्त आवश्यक है। इस कार्य को सहकारिता के सिद्धान्त पर किया जाए तो अति उत्तम रहेगा। बारानी क्षेत्रों में सफल खेती करके कृषक अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और साथ ही बेरोजगार मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा।

जापान की सहकारी समितियां

लक्ष्मण प्रसाद भार्गव

जापान में औसतन कृषि जोत भारत के समान ही 2.5 एकड़ है। परन्तु फिर भी जापान का कृषक एक एकड़ भूमि में साठ क्विण्टल चावल पैदा करता है और आज वह चावल के मामले में आत्म-निर्भर है। चावल का उत्पादन बढ़ाने का मुख्य कारण सहकारी समितियों द्वारा क्रमिक अनुसन्धान, किसानों का फार्म प्लान बनाना और उसका क्रियान्वयन है।

जापान की बहूद्देश्यीय सहकारी कृषि समितियों ने कमजोर किसानों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में सीधा प्रयास किया है और 20-25 उत्पादकों के दल की सहायता के लिए कृषि सलाहकार नियुक्त किए हैं। उत्पादकों के दलों में युवकों को भी शामिल किया गया है। ये सलाहकार न केवल खेती सम्बन्धी मामलों में मार्गदर्शन करते हैं वरन् उनकी अन्य सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर पूर्ति के साधन जुटाते हैं।

जापान की सहकारी समितियों में गबन और 'ओवर ड्यू' नाम की चीज देखने को भी नहीं। सदस्यों को कोई विशेष दिक्कत होने पर ही 'ओवर ड्यू' होता है, वह भी एक प्रतिशत से अधिक नहीं। वहां की समितियां अपने देश के किसी भी केन्द्रीय सहकारी बैंक से कम नहीं हैं। जापान के नेशनल बैंक में सहकारी आन्दोलन का 2,000 करोड़ रुपया जमा है।

परिवार का कोई भी सदस्य समिति के कारोबार में भाग ले सकता है। वे समिति को अपना समझते हैं। सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समिति से उपभोक्ता भण्डारों में छोटी से छोटी वस्तु से लेकर मोटर कार तक मिल सकती है। सोसाइटी की अपनी स्वतः की टेलीफोन संचार व्यवस्था रहती है जो कि प्रत्येक सदस्य से सम्बन्धित है।

कोरिया के सहकारी आन्दोलन में भी शासकीय सहकार विभाग तथा आडिट नाम की चीज नहीं है। नेशनल यूनियन और नेशनल बैंक को, जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, पंजीयन निरीक्षण के पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

पौध संरक्षण यन्त्रों की सुरक्षा कैसे करें ?

हरित क्रान्ति के तेजी से बढ़ते हुए माहौल के साथ ही साथ भोलाभाला देहाती किसान न जाने कितने नए-नए संकटों से टकरा रहा है। आजकल फसलों को कीड़ों एवं बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए पौध संरक्षण दवाइयां यन्त्रों द्वारा छिड़की जाने लगी हैं। देहाती किसान इन यन्त्रों के प्रयोग के बारे में अधिक जानकारी तो रखता नहीं है। अत: कभी-कभी थोड़ी सी खराबी होते ही उसके लिए एक नई परेशानी खड़ी हो उठती है।

पौध संरक्षण यन्त्र दो प्रकार के होते हैं : एक हस्तचालित अर्थात् हाथ से चलने वाले और दूसरा इंजन चालित अर्थात इंजन से चलने वाले। कई बार असावधानीवश इनमें चलते-चलते कुछ खराबी आ जाती है और काम अधबीच में ही रुक जाता है। ऐसे समय में यदि रोग या कीड़ों का आक्रमण तेज हो तो हालत और भी अधिक बिगड़ जाती है। वे यन्त्रों को सुधरवाने शहरों की तरफ दौड़ते हैं जहां न केवल समय बर्बाद होता है बल्कि पैसा भी अनाप-शनाप खर्च हो जाया करता है।

लेकिन कुछ छोटी-छोटी कठिनाइयों से सहज ही बचा जा सकता है, यदि पौध संरक्षण यन्त्रों की देखभाल के लिए हम प्रारम्भ से ही ध्यान रखें। आइए, मैं आपको पौधों की सुरक्षा के लिए नुस्खे बतलाता हूं जो आपकी गाड़ी को वक्त पड़ने पर धकेल देंगे और यन्त्रों को बिगड़ने से सही समय पर रोक भी देंगे।

1. सबसे पहले साफ कपड़े से मशीन पर से कचरा, धूल आदि जमा हो तो उसे साफ कर दें।

2. मशीन में पानी डालते वक्त पानी की छलनी लगाकर ही पानी डालें। बिना छना पानी नहीं डालें।

3. सभी जोड़ों और वाल्वों को अच्छी तरह से कस दें। कसने के बाद एक बार फिर से जरूर उन्हें देख लें ताकि कोई पुर्जा ढीला नहीं रह पाए।

4. इंजन की टंकी में तेल दें। तेल अच्छी किस्म का हो।

5. मशीन के गेयर में भी आवश्यकतानुसार तेल, मोबिल आइल आदि और ग्रीस दें।

6. इंजिन को चालू करने के पहले अच्छी तरह देख लें कि "क्रेंक केस" या "एयर क्लीनर" में पर्याप्त तेल है अथवा नहीं। यदि नहीं हो तो भर दें।

7. मशीन को अच्छी तरह से चालू करके घोल वाली टंकी के पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें तथा अगर कहीं से दवा निकल रही हो तो उसे ठीक कर लें।

दुर्गाशंकर त्रिवेदी

8. छिड़काव के लिए काम शुरू करने से पहले देख लें कि बेल्ट ठीक प्रकार से लगे हों। दवाओं का मिश्रण ठीक हो गया है या नहीं यह भी अवश्य देख लें।

छिड़काव यन्त्र की देखभाल

1. छिड़काव का कार्य हवा जिस दिशा में चल रही है उसके बहाव की तरफ ही करें।

2. काम करते वक्त पेट्रोल अथवा तेल की कमी आ जाए तो पहले इंजिन को बन्द करके उसके ठण्डा हो जाने पर पेट्रोल डाल लें।

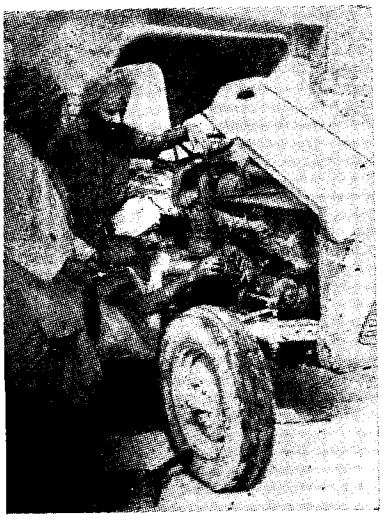

3. दवा ठीक से छिड़की जा रही है या नहीं यह भी देख लें, ताकि परिश्रम बेकार न जाने पाए और काम भी ठीक-ठाक होता रहे।

काम समाप्त होने के बाद

1. नित्यप्रति काम समाप्त होते ही ध्यान रखकर मशीन की टंकी तथा पम्प से घोल को बाहर निकाल दें।

2. यन्त्र में काफी मात्रा में पानी डालकर साफ करें। देख लें, अच्छी तरह सफाई नहीं हो पाई हो तो दुबारा पानी डालकर करें।

3. वाल्व खोलकर उन्हें खूब अच्छी तरह साफ कर लें और सावधानी से उनको वापस लगा भी दें।

मौसम की समाप्ति के बाद

1. घोल की टंकी व पम्प को साफ करके सुखा लें।

2. नाजल पाइप, पम्प तथा टंकी के पानी को खूब अच्छी तरह साफ करें अन्यथा कीट लग जाने का खतरा रहता है।

3. पम्प में तेल व ग्रीस लगाएं और सारे यन्त्रों व पुर्जों को अच्छी तरह ढक-कर किसी सूखे स्थान पर रखें।

इस प्रकार से जब यन्त्रों की देख-भाल काम लेते समय ठीक ढंग से नहीं होती है तो उसमें अनेक खराबियां आ जाती हैं। इंजिन चालित यन्त्र की खराबियों को इसी प्रकार से दूर किया जा सकता है।

इंजिन चालित यन्त्र

यदि इंजिन चालू नहीं हो रहा हो तो इन खराबियों को खासतौर पर देखें, बहुत सम्भव है इन में से ही कोई खराबी हो —

तेल की कमी हो, यदि तो तुरन्त टंकी में तेल डालें और छानकर डालने का भी पूरा-पूरा ध्यान रखें।

यदि कार्बोरेटर गलत तरीके से लगा हुआ हो तो उसे ठीक तरह से लगाएं।

यदि चिनगारी नहीं होती हो तो सभी कनेक्शनों की जांच अच्छी तरह से करें। स्पार्क प्लग को साफ करें तथा इलक्ट्रोड प्वाइण्ट के बीच की दूरी को सही करें। मैगनेट की जांच जरूर कर ही लें।

कार्बोरेटर में भी तेल डालें और यह देख लें कि तेल कार्बोरेटर तक ठीक से पहुंच भी रहा है अथवा नहीं। कभी-कभी इसी कारण इंजिन चल नहीं पाता है।

यदि तेल में पानी या अन्य कोई तरल पदार्थीय मिलावट हो तो टंकी, सेडीमेन्ट कप और कार्बोरेटर को खाली करके साफ करें तथा दूसरा सही तेल डालें।

ये सावधानियां आप कर लेंगे तो आपका इंजिन पुनः अच्छी तरह चलने लग जाएगा। फिर भी नहीं चले तो उसे किसी योग्य मिस्त्री को बुलाकर दिखलाना चाहिए ताकि अधिक नुकसान न होने पाए।

कभी-कभी कुछ छोटी-मोटी खराबियों के कारण इंजिन सही रूप से नहीं चल पाता है। ऐसे वक्त भी उसकी तरफ पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि आगे कोई खतरा नहीं हो।

1. बैक फायरिंग होता हो तो इंजिन पर से कार्बन साफ कर लीजिए।

2. यदि नीले रंग का धुआं निकलने लगे तो तेल का बहाव ठीक करें।

3. यदि काले रंग का धुआं निकले तो कार्बोरेटर के नट को अन्दर की तरफ अच्छी तरह से कसें।

4. इंजिन यदि अधिक गर्म हो गया हो तो हवा और तेल के मिश्रण को सही करने के लिए कार्बोरेटर को ठीक करें। हैड वाल्व एक्जास्ट से जमा हुआ कार्बन भी ठीक तरह से साफ करें।

5. यदि दबाव की कमी महसूस हो रही हो तो वाल्व को ठीक करें और पिस्टन की रिंग्स को तुरन्त बदलने का ध्यान रखें।

6. यदि आप यह महसूस करते हों कि इंजिन की ताकत कम है तो तुरन्त कार्बोरेटर को ठीक करें। उसे थोड़ा और खोलें। इंजिन को ठण्डा करें तथा इंजिन पर जमा हुआ कार्बन अच्छी तरह से साफ कर लें।

ये कमियां दूर होते ही आपका इंजिन आपकी सेवा मुस्तैदी से करने में समर्थ हो जाएगा।

पम्प की खराबियां

हाथ से चलने वाले पम्प में दबाव ठीक से नहीं बन रहा हो तो देखें वाल्व चिपक गए हों तो उन्हें खोलकर खूब अच्छी तरह से साफ करें। यदि हवा निकल रही हो तो सभी जोड़ों को ठीक प्रकार से कस दें। यदि पम्प या वाल्व सूखे हों तो पहले पम्प में काफी मात्रा में पानी भरें तथा बाद में थोड़ा तेल लगाएं।

यदि दबाव स्थिर नहीं रह पा रहा हो तो वाल्व खोलकर साफ करें। शायद उसमें कचरा अटक रहा हो। वाल्व टूटे हुए हों तो नए वाल्व लगा लें। पम्प से हवा निकल रही हो तो सभी जोड़ों को ठीक करें। बोल्ट फट गए हों तो तुरन्त नए बोल्ट लगाएं व वे सही लग गए हों इसका ध्यान भी रखें। वाल्व के नीचे हवा भर गई हो तो छिड़काव नली को खोलकर हवा निकाल दें। इन बातों की तरफ ध्यान देंगे तो छिड़काव यन्त्र का दबाव बिलकुल सही हो जाएगा।

इन थोड़ी सी सावधानियों को ध्यान में रखकर यन्त्रों की देखभाल करते रहें तो आप काफी समय तक उन यन्त्रों से सेवाएं ले सकते हो।

हिन्दी के विकास में महाराष्ट्र का योग

कृ० गो० वानखड़े गुरूजी

राष्ट्रभाषा हिन्दी और महाराष्ट्र का सम्बन्ध आज का नहीं बल्कि हिन्दी के आदिकाल से चल रहा है। महाराष्ट्र के सन्त कवियों की हिन्दी के प्रति आरम्भ से ही ममता रही है और मध्ययुग से लेकर आज तक वे लगातार अपने भजन एवं कीर्तन में मराठी अभंग और पदों के साथ-साथ हिन्दी पद भी गाते-रचते रहे हैं। सन्तों ने प्रान्त, भाषा आदि भेदों को कभी स्वीकार नहीं किया।

महाराष्ट्र के इतिहास में मराठी सन्त कवियों का साहित्य बड़ा लोकोपयोगी है। जिस समय महाराष्ट्र की जनता अन्धकार में पड़ी थी उस समय इन्हीं सन्तों ने अपनी वाणी द्वारा ज्ञान का प्रकाश फैलाया और मराठी तथा हिन्दी के भण्डार को भरा।

महाराष्ट्र में सबसे प्राचीन हिन्दी कविता महानुभाव (जयकृष्णी) सम्प्रदाय के आद्य प्रवर्तक श्री चक्रधर स्वामी की प्राप्त होती है। इनका समय सन् 1194 से 1273 माना जाता है। श्री चक्रधर स्वामी जन्म से तो गुजराती थे परन्तु कर्म से महाराष्ट्री थे। इनके सम्प्रदाय का प्रचार केन्द्र महाराष्ट्र ही रहा। इनकी प्राचीन उपलब्ध अनेक चौपाइयां हिन्दी में पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर उनकी एक रचना यह है :

"मूलस्थानी भीड़ बांधो हो जोइ, जेवि ना कालकलाइ,
गुरु वचनें वोडियाणा दृढ़ बांधों जेवि न चंचल होइ ॥
गोरक्षी हो सुनि बंधी, स्थिर होइ : जेणें तुम्हीं जाया :
सोपरि भारो : बैरी आनु नाहीं काइ ॥

महदम्बा नागदेवाचार्य की चचेरी बहन थी। यह बाल विधवा थी। चक्रधर स्वामी की यह शिष्या थी। गुरु के महाप्रस्थान के बाद यह ऋद्धिपुर में गोविन्द प्रभु के पास रहती थी। इसका प्रयाणकाल शक सम्वत् 1230 है। इसने मराठी के साथ-साथ हिन्दी में भी रचना की। पता नहीं, इनके कितने पद काल-कवलित हो गए हैं। इन की रचना का एक उदाहरण नीचे पढ़िए :

"नगर द्वार हो भिच्छा करों हो, बापुरे मोरी अवस्था लो।
जिहां जाबों तिहां आप सरिसा कोउ न करो मोरी चिन्ता लो।
हाट चौहाट पड़ रहूं पंच घर भिच्छा,
बापुड़ लोक मोरी अवस्था कोउ न करो मोरी चिन्ता लो।"

दामोदर पण्डित भी महानुभाव सम्प्रदाय के सन्त थे। इनका रचना काल शक सम्वत् 1230 के आस पास है। इनकी साहित्य संगीत और दर्शन में अच्छी रुचि थी। इनकी हिन्दी चौपाइयां प्रसिद्ध हैं। उदाहरणार्थ एक चौपदी इस प्रकार है।

"सुन हो बाबा, सुन हो पण्डित, सुन बैरागी भाई,
हमारी साखी बीरला सुने बुझति बिरला कोई ॥
अनन्त पुरुष हो अनन्त भाषा पुकारित नाना विचार।
सब ही मिलकर रहणि नैनति पन्थ तो अपरम्पार ॥"

सन्त ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त हुए हैं। इनका जन्म शक सम्वत् 1196 तथा निर्वाण 1218 है। इनका "ज्ञानेश्वरी" ग्रन्थ तो महाराष्ट्र में वहां की जनता घर-घर में बड़े चाव से पढ़ती है। इस ग्रन्थ के अतिरिक्त अमृतानुभव, चांगदेव पासष्टी ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त मराठी में अभंगों की गाथा प्रसिद्ध है। इनकी हिन्दी रचना का एक पद इस प्रकार है :—

"सोई कच्चा वे नहीं गुरू का बच्चा,
दुनिया तजकर खाक रमाई, जाकर बैठा बन मों।
खेचरि मुद्रा वज्रासन मां ध्यान धरत है मद मों,
तीरथ करके उमर खोई जागे जुगति मो सारी,
हुकुम निवृत्ति का ज्ञानेश्वर को तिनके ऊपर जाना।
सद्गुरु की (जब) कृपा भई तब आपहि आप पिछाना ॥"

मुक्ताबाई सन्त ज्ञानेश्वर की छोटी बहन थी। इसका जन्म शक सम्वत् 1120 तथा निर्वाण शक सवम्त् 1219 है। यह आजीवन अविवाहित रही। इसके मराठी अभंग बहुत ही सुन्दर हैं। इनकी हिन्दी रचना का भी एक पद पढ़िए :—

"वाह वाह साहब जी सदगुरु लाल गुसाई जीं,
लाल बीच भी उडला काला ओंह पीठसों काला।
पीत उन्मनी भ्रमरगुंफा रस झूलन वाला।
सद्गुरु चेले दोनों बरावर एक दत्तयों भाई,
एक से एक दर्शन पाए महाराज मुक्ताबाई।"

नामदेव ने ज्ञानेश्वर के पश्चात् वारकरी सम्प्रदाय का प्रचार तथा प्रसार सारे भारतवर्ष में घूम-घूम कर किया। प्रथम यात्रा में नामदेव के साथ ज्ञानेश्वर भी थे। नामदेव का जन्म 1270 तथा निर्वाण 1350 में था। इनकी मराठी के साथ हिन्दी की भी 300 रचनाएं प्राप्त हैं। नामदेव ब्रजभाषा के आदि कवि माने जाते हैं। ग्रन्थ साहिब के पदों के अलावा अन्य पदों पर पूरे तौर से ब्रजभाषा का प्रभाव है। इनके पदों की भाषा अधिक साफ है। उदाहरण के लिए एक पद यहां नीचे दिया जाता है।

"दुबैल गरीबो रामकौ। हरिको दास मैं जन सेवक तेरा।
आचार त्यौहार जप नहीं पूजा। ऐसी भगत आयो सरनिला॥
नामा भणै मैं सेवक तेरा। जनम जनम हरि तो मिला॥

हिन्दी में निर्गुण भक्ति की धारा को प्रथम प्रवाहित करने वाले तो सन्त नामदेवजी ही हैं। सन्त कबीर तो बाद में हुए। नामदेव की निर्गुण धारा की छाया कबीर साहित्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

सेना नाई के बारे में दो मत हैं। सेना नाई को कुछ लोग उत्तर भारत का मानते हैं तो कुछ महाराष्ट्र का। अधिक प्रमाण तो महाराष्ट्रीय होने के ही मिलते हैं। उत्तर भारत के लोग मानते हैं कि सेना नाई के गुरु रामानन्द थे पर महाराष्ट्र में मराठी भाषा में रचित सेना नाई के अभंगों में "कि मेरे गुरु ज्ञानेश्वर" स्पष्ट रूप से कहा है। मराठी में सेना नाई के बहुत अभंग हैं जबकि हिन्दी में उनके केवल तीन ही पद पाए जाते हैं। एक पद तो सिखों के ग्रन्थ साहिब में है और दूसरा इस प्रकार है।

"वेदहि झूटा, शास्त्रहि झूटा, भक्त कहां से पछानी,
ज्या, ज्या, ब्रह्मा तू ही झूटा, झूटी साके न मानी।
गरुड चढ़े जब विष्णु आया, सांच भक्त तेरे दो ही,
धन्य कबीरा, धन्य रोहिदास, गावे सेनान्हावी॥"

सन्त भानुदास श्री परमभागवत एकनाथजी के कुल में पैदा हुए थे। इनका जन्म शक सम्वत् 1470 है। जब विजयनगर के राजा कृष्णराज ने महाराष्ट्र के आराध्य देवता भगवान विट्ठल की मूर्ति अपने राज में मंगा ली थी, उसे फिर वापिस लाने का श्रेय भानुदास महाराज को है। इनकी मराठी के साथ हिन्दी में भी सुन्दर रचना हैं।

"जमुना के तट धेनु चरावत,
राखत है गैयां, मोहन मेरो गैयां।
मोर पत्र सिर छत्र सुहाए, गोपी धरत बहियां,
भानुदास प्रभु भगत को वत्सल, करत छत्र छइयां।

सन्त एकनाथजी महाराष्ट्र के वारकरी भक्ति सम्प्रदाय के एक महान सन्त हुए। इनका जन्म सन् 1533 तथा प्रयाण 1596 है। अत्यन्त गुरुभक्त थे। इनकी भाषा में ब्रजभाषा, खड़ी बोली के साथ-साथ अरबी, फारसी और गुजराती की भी छटा है। सन्त एकनाथजी गोपी प्रसंग में आध्यात्मिक रूपक बांधने का कैसा मधुर प्रयास करते हैं :—

"मैं दधि बेचन चली मथुरा। तुम केंव थारे नन्दजी के छोरा।
भक्ति का अंचल पकड़ा हरी। मत खींचो मोरी फारी चुनरी।
अहंकार का मोरा गगरा फोरा। व्हाको गोरस सबही गीरा।
द्वैतन की मोरी अंगिया फारी। क्या कहूं मैं नंगी नार उघारी।
एका जनार्दन ज्यासो भेटा। लागत पगो से कबु नहीं छुटा।

महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में हिन्दी के कवि भूषण को विशेष प्रतिष्ठा मिली थी। उन्होंने शिवाजी महाराज की प्रशंसा में रचनाएं की थीं। वे हिन्दी में ही थीं। स्वयं शिवाजी ने भी हिन्दी में पद रचना की। उनका एक प्राप्त पद इसी प्रकार है :

"जय हो महाराज गरीब निवाज।
बन्दा कमीना कहलाता हूं साहिब तेरी लाज।
मैं सेवक बहु सेवा मांगू इतना है सब काज।
छत्रपति तुम सेफदार शिव इतना हमारा फर्ज।"

सन्त तुकाराम जी भी भागवत धर्म वारकरी सम्प्रदाय के अनुगामी थे। इनके मराठी अभंग तो महाराष्ट्र में घर-घर में लोग बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हैं। इनकी वाणी की शक्ति ही अजीब है। मराठी के साथ इनकी हिन्दी रचना भी सुन्दर है।

"हरि सुं मील देख ऐक ही बेरे। पाछे फिर तु नावे घर॥
मात सुनो दुनी आवे मनावत। जाया करीती भर जोवन॥
हरीसु मोही कहीया न ज्याए। तब तू बुझे आंगों पाए॥
दख हो भावा कछु पकड़ी हात। मीलाई तुका प्रभु साथ॥"

समर्थ रामदास स्वामी राम उपासक थे। महाराष्ट्र के जन-जीवन में इन्होंने नई जागृति उत्पन्न कर दी थी। छत्रपति शिवाजी के ये राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। इनके कई हिन्दी पद प्राप्त होते हैं।

"राम न जाने नर तो क्या जी॥
धन दौलत सब माल खजाना।
और मुलुख सर किया तो क्या जी॥1॥
गोकुल मथुरा मधुवन द्वारका।
और अयोध्या कर आया तो क्या जी॥2॥
गंगा गोमति रेवा तापी।
और बनारस न्हाया तो क्या जी॥3॥
दर्वेश शेवडा जंगम जोगी।
और कानफाड़ी हुआ तो क्या जी॥4॥
वेद पुरान की चर्चा घनी है।
और शास्त्र पढ़ आया तो क्या जी॥5॥
रामदास प्रभु आत्मा रघुवीर।
इस नयन नहिं लाया तो क्या जी॥6॥

महाराष्ट्र तो हिन्दी का प्रारम्भ से ही प्रबल समर्थक रहा है। विदेशी शासन काल में राष्ट्रीय कर्णधारों का ध्यान हिन्दी की ओर आकृष्ट हुआ था। वीर सावरकर ने 1901-1902 में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का सम्मान देने के लिए आन्दोलन किया था। चिपलूणकर और आगरकर ने भी मराठी के प्रति श्रद्धा रखते हुए भी राष्ट्रभाषा पद पर हिन्दी को सम्मानित करने का समर्थन किया था। लोकमान्य तिलक ने भी हिन्दी का समर्थन किया। मराठा रियासतों—ग्वालियर, इन्दौर, देवास, धार आदि ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाया। बड़ौदा के महाराजा तो हिन्दी के प्रबल समर्थक थे।

रूपक

गांव के कुएं पर

ओमप्रकाश गुप्ता

(पात्र परिचय)

[**लाला दीनदयाल :** गांव का साहूकार। **किशोर :** दीनदयाल का बेटा, जो शहर से एम० ए० पास करके गांव आया है। **किशनी :** मक्खनलाल कुम्हार की इकलौती बेटी जो पिता की कम आमदनी के बाद भी केवल वजीफा लेकर ही बी० ए० तक की पढ़ाई कर चुकी है। **मंगल :** किशोर का बचपन का साथी पर पढ़ाई केवल हाई स्कूल तक ही कर सका। **रेशमा :** दीनददयाल की बेटी। पढ़ी लिखी बिलकुल नहीं। आयु में किशोर से छोटी है।
स्थान: गांव का एक कुआं जिसके चारों ओर पक्का चबूतरा बना हुआ है। पास में एक पीपल का पेड़ है। उसके चारों ओर भी पक्का चबूतरा बना हुआ है।]

(पर्दा उठता है)

(रेशमा कुएं से पानी निकालती दिखाई देती है।)

रेशमा : (रस्सी खींचते खींचते थक कर रुकते हुए) हाय राम...बापू ने कुआं भी कितना गहरा खुदवाया है। पानी निकालते निकालते मेरी तो जान ही निकल जाती है। लगता है एक दिन मैं इसी कुएं पर पानी खींचते खींचते ही मर जाऊंगी।
(रेशमा फिर से रस्सी खींचती है। बाल्टी बाहर आती है तो वह उसे पास रखे घड़े में उड़ेल देती है तथा फिर से बाल्टी कुएं में डालकर एक दो बार ऊपर नीचे करती है।)

किशनी : (एक घड़ा और एक बाल्टी उठाए आती है) कहो रेशमा बहन पानी भर रही हो?

रेशमा : (चिढ़कर) क्यों दिखाई नहीं देता क्या, जो अपना बन्दर जैसा मुंह खोलकर पूछने की जरूरत पड़ गई?

किशनी : नहीं बहन, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी।

रेशमा : हां...हां मुझे मालूम है तू कैसे पूछ रही थी। तू समझती होगी कि मैं चली जाऊं तो तू इस कुएं से ही पानी लेकर चली जाए और गांव के बाहर वाले कुएं पर जाने की मुसीबत हट जाए।

किशनी : नहीं बहन...मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं जानती हूं यह कुआं तो तुम साहूकारों का है। तुम ठहरी ऊंची जाति की और मैं ठहरी एक कुम्हार की बेटी, नीची जात। भला मैं यहां से कैसे पानी ले सकती हूं?

रेशमा : अच्छा अच्छा...मेरे मुंह न लग। जा अपना रास्ता देख। कहीं किसी ने देख लिया और बापू से कह दिया तो मुझे घर में रोटी भी नहीं मिलेगी।

किशनी : जानती हूं बहन। पर यह याद रखना हम गरीबों की भगवान कभी तो सुनेगा ही।

रेशमा : हाय हाय...मैंने कौन सा तुझे तीर मार दिया जो भगवान से मेरा बुरा मांग रही है तू।

किशनी : हम गरीब तुम अमीरों का क्या बुरा चाहेंगे बहन, यह तो तुम अमीरों की ही आदत है।

रेशमा : अच्छा जी...तो अब मुझ पर ही तोहमत लगाने लगी। देख किशनी तू पढ़ी लिखी चाहे जितनी हो पर इससे तेरी जात नहीं बदल जाएगी, कहे देती हूं हां। तू हमेशा रहेगी तो कुम्हार की बेटी ही।

किशनी : भगवान करे मैं हमेशा कुम्हार की ही बेटी रहूं। क्योंकि कुम्हार अपनी मेहनत की कमाई तो खाता है। तुम जैसे साहूकारों के घर में जन्म लेती तो सूद की काली कमाई ही खाने को मिलती।

रेशमा : हां...हां हम तो काली कमाई खाते हैं। पर तेरे घर मांगने तो नहीं जाते। चार जमात क्या पास कर ली, सारे दिन बकवास ही करती रहती है। अरी पढ़ाई का रोब मारती है...मेरा किशोर भैया तो तुझसे भी ज्यादा पढ़ कर आया है।

किशनी : वे पढ़कर आए हैं तभी तो तुम जैसी बात नहीं करते। यदि नहीं पढ़े होते तो वे भी मुझे नीच जात ही समझते। पर भगवान का शुक्र है तुम्हारे घर में एक आदमी तो है।

रेशमा : अच्छा तो मेरे भैया पर नैजरें रखती है तू।

किशनी : शर्म करो बहन। अपने भाई के बारे में ऐसी बात करते हुए तुम्हें लाज नहीं आती।

रेशमा : अरे जा। बात तो ऐसे करती है जैसे सारे संसार की लाज का ठेका तूने ही ले रखा हो। मेरा भैया है, मैं उसके बारे में कुछ भी सोचूं। तू बीच में बोलने वाली कौन होती है?

किशनी : (चलने लगती है) अच्छा तुम्हारा भाई जाने और तुम जानो। मैं तो जाती हूं और तुम सोचती रहो जो तुम्हारा जी चाहे।

रेशमा : अरे जा मैं तुझे बुलाने गई थी क्या ?
(किशनी चली जाती है और रेशमा फिर से पानी निकालने लगती है।)

रेशमा : (स्वतः) बड़ी पढ़ी लिखी बनी फिरती है। मेरा भैया यहां होता तो पता चलता। मैं पढ़ी नहीं इसलिए जबान चलानी थी न।
(बाल्टी को फिर से घड़े में उड़ेलती है और बैठकर आराम करने लगती है। तभी किशोर और मंगल घूमते हुए कुएं के पास आते है।)

किशोर : अरे रेशमा, तुम यहां बैठी क्या कर रही हो ?

रेशमा : (गुस्से से) अपनी किस्मत को कोस रही हूं।

मंगल : किशोर भैया, लगता है पारा पूरे सौ नम्बर पर है।

किशोर : अबे सौ नम्बर नहीं सौ डिग्रा पर।

रेशमा : देख मंगल तू बीच में मत बोल नहीं तो मैं तेरा सिर तोड़ दूंगी।

मंगल : बाप रे बाप ..इतना गुस्से में तो पहले कभी देखा नहीं देवी मां को।

रेशमा : देखो भैया इसे चुप कर दो नहीं तो...

किशोर : अच्छा.. अच्छा चुप करता हूं।
(मंगल की ओर संकेत करके) अब चुप ही रहना मंगल नहीं तो देवी का क्रोध बढ़ जाएगा।

रेशमा : देखो भैया तुम भी मुझसे मजाक मत करो। इस समय मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।

मंगल : (हाथ पर हाथ मारते हुए) लो बोलो...सुन लिया किशोर भैया, अब तो तुमको भी चुप रहना पड़ेगा।

रेशमा : पहले वह चुड़ैल भी तो मेरे मुंह नहीं लगती थी। पर अब तो जब देखो तब मेरे पीछे ही पड़ी रहती है।

किशोर : तुम किसकी बात कर रही हो ?

रेशमा : और है ही कौन इस गांव में ? एक ही तो पढ़ी-लिखी है। बाकी सब अनपढ़ ही भरे पड़े हैं।

किशोर : कुछ हंसते हुए अच्छा तो तुम किशनी की बात कर रही हो ?

रेशमा : हां...हां, वही कुम्हार की छोकरी।

मंगल : अरे किशनी, सच भैया बड़ी अच्छी छोकरी है। अब देखो न उस बेचारे कुम्हार की क्या हैसियत थी कि किशनी को इतना ढेर सारा पढ़ा सकता। पर वह तो अपनी मेहनत से पढ़ गई। उसके जितनी तो सारे गांव में कोई भी लड़की नहीं पढ़ी है।

रेशमा : देख लो भैया, यह मंगल का बच्चा मेरे सामने ही उस चुड़ैल की तारीफ कर रहा है।

किशोर : देखो रेशमा, तुम चाहे कुछ भी कहो। पर सही बात तो यह है कि किशनी हमारे गांव की लड़कियों में सबसे अधिक पढ़ी लिखी और सुशील लड़की है।

रेशमा : अच्छा तो अब तुम भी उसकी तरफदारी करने लगे।

किशोर : इसमें तरफदारी की क्या बात है ?

रेशमा : मुझे तो लगता है कि भैया कहीं तुम भी उसके जाल में न फंस गए हो।

किशोर : (गुस्से से) यह क्या ऊटपटांग बके जा रही है। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए।

रेशमा : जब तुम्हें एक कुम्हार की बेटी की तरफदारी करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे कैसी शर्म ? मैं भी सोचूं कि उस नीच जात की लिपस्टिक कैसे हो रही थी। पर सारी आग तो तुम्हारी ही लगाई हुई है। तुम्हारी ही वजह से तो वह इतना सर चढ़कर बोल रही थी।

किशोर : देख रेशमा, बेकार की बात करने में कोई लाभ नहीं है। सच तो यह है कि किशनी बहुत अच्छी लड़की है। अब तुम चाहे जो समझो।

रेशमा : अच्छी है तो ब्याह भी उसी से क्यों नहीं कर लेते।

किशोर : ब्याह भी कर लूंगा। इसके लिए मुझे तुझसे नहीं पूछना पड़ेगा।

रेशमा : (घड़ा अपने सिर पर रखती है और बाल्टी उठाकर चलने लगती है) देखती हूं तुम उस नीच जात की लड़की से कैसे ब्याह करते हो ? अभी बापू से जाकर कहती हूं।
(रेशमा चली जाती है। मंगल जो अभी तक जमीन कुरेद रहा था, उठता है।)

मंगल : लगता है यह रेशमा अब तुम्हारे दिल की बात पूरी नहीं होने देगी।

किशोर : एक बात बता मंगल, हम लोग आखिर कब तक इस जातपांत के चक्कर में उलझे रहेंगे ?

मंगल : मैं तो बस इतना जानता हूं कि जहां दिल मिले वहीं शादी करनी चाहिए।

किशोर : अच्छा तुम ही बताओ, किशनी में कुछ कमी है क्या ?

मंगल : कमी उसमें तो कुछ नहीं। पर उसका बाप कुम्हार जो है और तुम्हारे बापू एक कुम्हार की बेटी को अपने घर में बहू बनाकर क्या देख सकेंगे ?

किशोर : खैर, वह भी देखा जाएगा। अभी तो चल यहां से।
(किशोर और मंगल जाने को होते हैं तभी किशनी

अपना घड़ा और बाल्टी उठाए आती है।)

मंगल : देखना किशोर, वह किशनी आ रही है ना।

किशोर : हां...हां किशनी ही तो है। अच्छा मंगल तू जा। मैं अभी इससे कुछ बात करके आता हूं।

मंगल : अच्छा भैया।

(मंगल चला जाता है। किशोर को देखकर किशनी कुछ रुकती है और फिर चलने को होती है। तभी किशोर टोक देता है।)

किशोर : क्यों किशनी ! आज बात भी नहीं करोगी क्या ?

किशनी : (रुकते हुए) नहीं किशोर बाबू ! हम गरीबों की ऐसी किस्मत ही कहां जो आप जैसे अमीरों से बात कर सकें।

किशोर : अच्छा तो अब मुझसे भी ऐसी बातें करने लगीं आप। भूल गई वह दिन जब हम दोनों साथ साथ खेला करते थे। एक ही घर में रहने की बातें किया करते थे।

किशनी : वे बचपन की बातें थीं किशोर और बचपन ऊंच-नीच, जात-पांत और अमीर गरीब के अन्तर को नहीं पहचानता। अब हम बड़े हो गए हैं और इन्सान जितना बड़ा होता जाता है वह उतना ही छोटे-बड़े, ऊंच-नीच के चक्कर में फंसता जाता है।

(किशोर भावुक हो उठता है और किशनी का हाथ अपने हाथों में पकड़ लेता है।)

किशोर : नहीं नहीं किशनी ! कम से कम मेरे बारे में ऐसा मत सोचो। मैं वह किशोर नहीं जो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे। क्या मैंने एम० ए० इन्हीं बातों पर ध्यान देने के लिए किया है। क्या तुम्हारी पढ़ाई ने यही सिखाया है तुम्हें ?

(किशनी मौन रहती है।)

किशोर : बोलो किशनी, क्या हमारी पढ़ाई से हमने यही सीखा है कि हम बड़े होकर अपने बचपन के प्रेम को भूल जाएं।

किशनी : (आंखों में आंसू आ जाते हैं) नहीं किशोर नहीं। हमारी पढ़ाई हमें यह नहीं सिखाती। पर हमारा समाज तो यही कुछ सिखाता है।

किशोर : मैं ऐसे समाज की परवाह नहीं करता।

किशनी : भले तुम मत परवाह करो। पर रहना तो इसी समाज में है। समाज का बन्धन तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए मैं सोचती हूं कि हमारा तुम्हारा सम्बन्ध अब और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। भगवान के लिए मुझे भूल जाओ किशोर।

किशोर : नही किशनी ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तू मुझे नहीं मिली तो मैं सारी जिन्दगी शादी नहीं करूंगा।

किशनी : ऐसा मत कहो किशोर। तुम्हारे घर वाले तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने देंगे। तुम्हारे पिता इस गांव के साहूकार हैं और मेरे पिता केवल एक कुम्हार। वह कभी हो ही नहीं सकता।

किशोर : अरे मेरे बापू को तुम नहीं जानतीं। वे तो खुद इस ऊंच नीच की दीवार को हटाना चाहते हैं। कई बार कहते हैं कि इस संसार में यह अमीरी गरीबी भगवान ने नहीं बनाई। ये बंटवारे तो स्वार्थी लोगों ने अपने मतलब के लिए किए हैं।

किशनी : (कुछ खुश होकर) सच कहो किशोर ! क्या तुम्हारे पिताजी इसी विचार के हैं ? (तभी दीनदयाल गुस्से में लाल पीला हुआ वहां आता है। और उन दोनों को बात करते हुए वहां देखता है।)

दीनदयाल : किशोर ! यह क्या बात है ?

किशोर : बापू।

दीनदयाल : चुप रह। बापू का बच्चा। शर्म नहीं आती तुझे इस कुम्हार की छोकरी से प्रेमालाप करते हुए। खानदान की इज्जत का तो ख्याल ही नहीं।

(किशनी शर्म से ठिठुर उठती है।)

किशोर : मेरी बात तो सुनो बापू।

दीनदयाल : खामोश। रेशमा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। यह तो अच्छा हुआ कि उसने वक्त रहते मेरी आंखें खोल दीं। नहीं तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाती।

(किशनी रो पड़ती है और वहां से चली जाती है।)

किशोर : (किशनी को आवाज देते हुए) किशनी..किशनी मेरी बात तो सुनो...

दीनदयाल : अरे मेरे आगे तेरा यह साहस ? किसी कुआं-पोखर में गिर क्यों नहीं पड़ता ?

किशोर : (गुस्से में) बापू ! यह कोई अच्छी बात नहीं।

दीनदयाल : अच्छी बात के बच्चे। चुप भी नहीं होता। लगता है मेरी बात को धूल में मिलाएगा।

किशोर : मैं सब कुछ समझ चुका हूं बापू। आज तक जो तुमने कहा वह मैंने माना। पर अब तो मैं जो चाहूंगा वही करूंगा।

दीनदयाल : तो यह तेरा आखिरी फैसला है ?

किशोर : हां यह मेरा आखिरी फैसला है कि मैं किशनी से ही शादी करूंगा। जरा सोचो तो बापू। क्या कमी है उसमें। देखने में सुन्दर है। घरबार का हर काम कर सकती है। शरीफ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बी० ए० पास है।

दीनदयाल : अरे भाड़ में जाए सुन्दरता, शराफत और पढ़ाई। इन चीजों को क्या मैं चाटूंगा ? तू तो यह बता

उसके बाप का खानदान क्या है ? दहेज में देने के लिए फूटी कौड़ी भी है उसके पास ? रंगपुर वाले लाला की छोकरी मैंने तेरे लिए देख रखी है। पूरे पचास हजार दे रहा है नकद। समझा कुछ ?

किशोर : तो तुम्हें अपने बेटे की खुशी से रुपया ज्यादा प्यारा है। ठीक है बापू। अगर यह बात है तो आप समझ लेना कि आपका बेटा आज से मर गया।

दीनदयाल : तो याद रख किशोर ! मेरी जायदाद में से तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। कहे देता हूं हां।

किशोर : जहां तक धन का सवाल है वह तो तुमने मुझे पढ़ा कर दे ही दिया है बापू। विद्या जैसी अनमोल दौलत पाने के बाद मुझे और किसी धन की आवश्यकता नहीं। रहा सवाल गुजारे का सो कहीं न कहीं काम करके कर ही लूंगा।

दीनदयाल : (आश्चर्य से) तो क्या तू मुझे छोड़ देगा ?

किशोर : मैं नहीं छोड़ूंगा बापू। बल्कि तुम्हारा लालच मुझे तुमसे अलग कर रहा है। मैं फिर कहता हूं कि एक बार ठण्डे दिल से सोचो। किशनी में किसी बात की कमी नहीं। घर भर में उजाला कर देगी। रुपया लेकर अगर तुमने अपने बेटे को बेचा तो तुम्हारी आत्मा भी तुम्हें कोसती रहेगी बापू। जरा यह तो सोचो अगर हमारी रेशमा के ब्याह में लड़के वाले हमसे दो लाख की मांग करें तो तुम कहां से दोगे ? जब रेशमा की शादी नहीं हो सकेगी तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी ? रेशमा क्या करेगी ?

दीनदयाल : बस बेटा बस...और कुछ न कह। मुझे कौन सा धन छाती पर रखकर मरना है। मैं तो यह सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा था। जब तुम ही मेरे पास नहीं रहोगे तो मैं क्या करूंगा इस धन का। आज मेरी आंखें खुल गई। पर देख अब तू किशनी से बात नहीं करेगा।

किशोर : क्या ?

दीनदयाल : हां जब तक उससे तेरा ब्याह नहीं हो जाता। मैं आज ही उसके बाप से बात कर लूंगा।

किशोर : (दीनदयाल के पांव छूते हुए) सच बापू आप कितने अच्छे हो ! भगवान करे सभी लोग आपकी तरह ही सोचें। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे देश की सबसे बड़ी बुराई दूर हो जाएगी। हजारों लड़कियां इसी जात-पांत और दहेज के कारण कुंवारी बैठी रहती हैं। अगर सभी तुम्हारी तरह उदार हो जाएं तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे गांव और शहरों में लोगों के दिल खुशी से झूम उठेंगे।

दीनदयाल : अच्छा अच्छा अब तू घर चल। आज तो इस कुएं पर ही दो जिन्दगियों का फैसला हो गया है।

किशोर : (खुशी से) चलो बापू।

बाढ़ के बाद होने वाले रोग और उनसे बचाव..... (पृष्ठ 12 का शेषांश)

से लगभग पौन इंच गहरा जख्म कर जख्म में लाल दवा (पोटाशियम परमेंगनेट) भर देना चाहिए। जख्म से रक्त बहने दीजिए। जब तक कि ठीक लाल रंग का रक्त न निकलने लगे, जख्म को बीस बीस मिनट के अन्तर से गर्म जल में धोकर लाल दवा भरते रहो। साथ ही घाव को कुरेदते भी रहना चाहिए। रोगी को सोने न दीजिए और रोगी का डर दूर करने की कोशिश करते रहना चाहिए। लाल दवा न मिलने की अवस्था में साधारण नमक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चिकित्सक के आने तक रोगी का निम्नलिखित इलाज कीजिए—नमक अथवा काली मिर्च के साथ नीम के पत्ते रोगी को तब तक खिलाते जाइए तब तक कि उसे पत्ते कड़वे न लगने लग जाएं। स्मरण रहे, सर्प के काटे हुए रोगी को नीम की पत्तियां कड़वी नहीं लगतीं।

सर्प काटते ही लगभग 150 ग्राम घी गर्म दूध के साथ 5 ग्राम काली मिर्च मिलाकर पिला दें। ऐसा करने से विष नहीं चढ़ता है। रोगी को केले के पेड़ के बीच का गूदा कूटकर उसका रस एक एक घण्टे के अन्तर से पिलाते रहना चाहिए।

बिच्छू के काटने पर : नौसादर 20 ग्राम, पोटाशियम परमेंगनेट (लाल दवाई) 10 ग्राम दोनों बारीक पीसकर रख लें। यदि किसी को बिच्छू काट ले तो काटे हुए स्थान पर थोड़ी दवा डालकर दो बूंद पानी की डाल दें। इससे दर्द और टीसें तुरन्त बन्द हो जाएंगी और रोता हुआ रोगी हंसता हुआ अपने घर जाएगा।

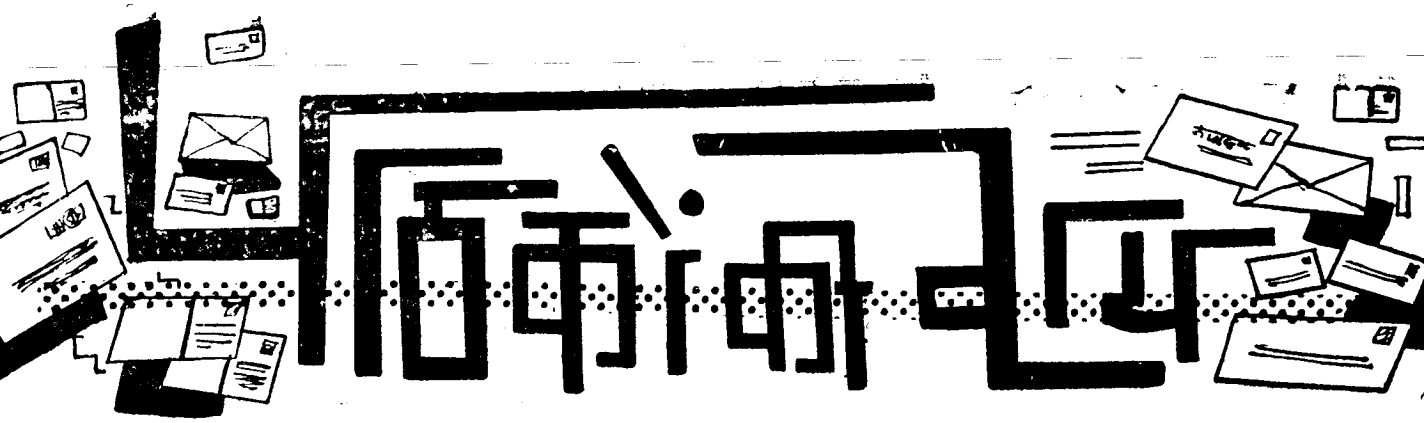

ग्राम पुस्तकालय के लिए कैसी पुस्तकें चुनी जाएं ?

ग्राम पुस्तकालयों के लिए पुस्तक चयन करना सबसे बड़ी समस्या है। इसका कारण है कि ग्राम पुस्तकालय का उपयोग करने वाले पाठक अधिकतर नवसाक्षर व स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं। नवसाक्षर पाठकों व विद्यार्थी पाठकों की रुचियों में बहुत अन्तर होता है, उनकी आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। पुस्तकालय अपने इन दोनों पाठकों को सन्तुष्ट करे, तभी पुस्तकालय का उद्देश्य सफल माना जाएगा। अपने इन पाठकों के लिए, जिनकी रुचियां एक-दूसरे के विपरीत हैं, सरल भाषा में लिखी, ज्ञानवर्धक व मनोरंजक पाठ्य सामग्री को जुटाना अत्यन्त दुष्कर कार्य है।

शिक्षा महारथी के० जी० सैयदैन ने शिक्षा की पुनर्रचना में एक स्थान पर लिखा है कि "नवसाक्षरों के लिए ऐसे साहित्य की आवश्यकता है, जिससे कि वे कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट और निकृष्ट के बीच, ज्ञान के क्षेत्र में सच और झूठ के बीच और आचरण के क्षेत्र में भले और बुरे के बीच अन्तर कर सकें।" इस प्रकार का साहित्य जुटाना वास्तव में बड़ी विकट समस्या है। केन्द्रीय सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। नवसाक्षर प्रौढ़ पाठकों के लिए प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा देश की विभिन्न भाषाओं में 'नवसाक्षर साहित्य' प्रकाशित किया जाता है। इसके अन्तर्गत प्रकाशित होने वाली पुस्तकें विशेष रूप से नवसाक्षरों के लिए ही लिखी जाती हैं। अतः इन्हें तो अवश्य ही खरीदना चाहिए। 'नेशनल बुक ट्रस्ट' द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं की स्तर की पुस्तकों को सस्ती कीमत पर प्रकाशित किया जा रहा है। इन पुस्तकों को भी खरीदना चाहिए। इसके अतिरिक्त खेती पशुपालन, प्रारम्भिक चिकित्सा, आदि से सम्बन्धित तथा धार्मिक पुस्तकें भी नवसाक्षरों के लिए खरीदनी चाहिए।

विद्यार्थी पाठक की प्रवृत्ति जिज्ञासु होती है अतः इनके लिए ग्राम पुस्तकालयों को ज्ञान विज्ञान से सम्बन्धित सरल भाषा में लिखी पुस्तकों को प्रमुखता देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आत्म-कथाएं जीवन गाथाएं, इतिहास, भूगोल, यात्रा संस्मरण सम्बन्धी पुस्तकें भी खरीदनी चाहिए, जिससे बालक का बौद्धिक विकास हो। विद्यार्थियों के लिए सन्दर्भ ग्रन्थों को भी खरीदना चाहिए। आजकल सस्ते और प्रामाणिक सन्दर्भ ग्रन्थ भी उपलब्ध होने लगे हैं। ऐसे सन्दर्भ ग्रन्थ कभी नहीं खरीदने चाहिए, जो मंहगे होने के साथ साथ ग्राम पुस्तकालय के लिए अनुपयोगी हों। अन्यथा वे बेकार पड़े रहेंगे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका को ग्राम पुस्तकालय के लिए खरीदना सरासर मूर्खता है। प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां खरीदनी चाहिए। पुस्तक चयन में अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

पुस्तक चयन के लिए हर पुस्तकालय में एक समिति बनाई जाती है। ग्राम पुस्तकालय के लिए भी ऐसी समिति बनाई जानी चाहिए, जो पुस्तकों का चयन करे। इस समिति में पुस्तकालयाध्यक्ष को अवश्य रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसे ही अपने पाठकों की रुचियों के बारे में अधिक जानकारी होती है। साधारणतया ग्राम पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद का कार्य जिला पुस्तकालय द्वारा किया जाता है। यह प्रणाली अत्यन्त अलाभकारी है। इसे बदलना चाहिए। ग्राम पुस्तकालयों को, जहां पर पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति कार्य कर रहे हों, पुस्तकों की खरीद स्वयं करने देनी चाहिए। कभी कभी जिला पुस्तकालय अपनी रुचि की पुस्तक ग्राम पुस्तकालय पर लाद देते हैं, जिसके कारण वे बेकार पड़ी रहती है। पुस्तकालय में ऐसी पुस्तकों को खरीदने से कोई लाभ नहीं होता, जिन्हें कोई न पढ़े। पुस्तकालय की प्रत्येक पुस्तक को पढ़ा जाए, तभी उस पुस्तक का वास्तविक उपयोग होगा। अधिक पुस्तकें रखकर संख्या बढ़ाने के बजाए कम पुस्तकें हों, जितनी पुस्तकें हों, उन सबके पाठक हों।

राजेन्द्रसिंह

हिन्दी में बाल साहित्य — लेखकत्रय : सर्वश्री सुरेन अग्रवाल, जगदीश चन्द्र अग्रवाल, जगदीश लाल; प्रकाशक—रचना राकेश, 2563, नाई वाड़ा, चावड़ी बाजार, दिल्ली; पृष्ठ संख्या : 205; मूल्य—सजिल्द संस्करण 18 रुपये, साधारण संस्करण, 15 रुपये।

आलोच्य पुस्तक हिन्दी में बालोपयोगी साहित्य की एकमात्र एकत्र प्रकाशित पुस्तक है। आमुख में लेखकों ने पुस्तकाकार बाल-साहित्य-सूची का हिन्दी में नितान्त अभाव बताया है। वैसे प्रत्येक प्रकाशक अपनी पुस्तक सूची में बालोपयोगी पुस्तकों की सूची प्रकाशित करता ही है किन्तु एक पुस्तक में भिन्न-भिन्न लेखकों की भिन्न-भिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें मिलना सुलभ न था। इसके लिए अलग-अलग प्रकाशकों से उनकी सूची मांगना तथा उसमें से अपनी इच्छित पुस्तक प्राप्त करना कठिन कार्य था। इस कमी को लेखकत्रय ने दूर किया है और विषय क्रम से भिन्न-भिन्न लेखकों की भिन्न-भिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की आकर्षक सूची तैयार की है।

इस प्रथम खण्ड में 1947 से लेकर 1960 तक प्रकाशित बाल साहित्य की पुस्तकों की सूची दी गई है। इसके देखने से विदित होता है कि स्वतन्त्रता के बाद इन तेरह वर्षों में बाल साहित्य में कितनी वृद्धि हुई है।

प्रस्तुत पुस्तक में उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता, लोक कथाएं, जीवनी, सामान्य ज्ञान-विज्ञान, देश परिचय, भ्रमण तथा अन्य विविध विषय हैं। इस प्रकार नौ शीर्षकों में पुस्तकों का वर्गीकरण किया गया है। ये विषय बाल पाठकों की ज्ञान-वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

पुस्तक-संकलन में लेखकों ने काफी सूझ-बूझ का परिचय दिया है। उदाहरण के रूप में लेखकों के नाम वर्ण क्रम से दिए गए हैं। इससे सहूलियत यह है कि प्रत्येक वर्ण के लेखकों को ढूंढने में कठिनाई नहीं होती। साथ-साथ प्रकाशन स्थान, पुस्तक का मूल्य, पृष्ठ संख्या तथा पुस्तक का आकार भी दिया गया है।

पुस्तक के अन्त में बड़ी उपयोगी अनुक्रमणिका दी गई है। एक लेखक की रचनाएं विषय भिन्नता के कारण पुस्तक में कितनी जगह और कितने पृष्ठ पर आई हैं, यह अनुक्रमणिका से सहज ही मालूम हो जाता है।

इस सूची में पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित नहीं की गई हैं। क्यों ? यद्यपि पाठ्य-पुस्तकें कोई स्थायी साहित्यिक प्रयास नहीं होता, क्योंकि वह परिवर्तित होता रहता है, फिर भी योग्य लेखकों द्वारा लिखित साहित्यिक लेख तो स्थायी साहित्य में आते ही हैं। इस प्रकार कुछ उच्च कोटि के विद्वानों द्वारा लिखित लेख जिन संकलनों में दिए जाते हैं वे संकलन भी इस सूची में सम्मिलित किए जा सकते थे। आशा है कि दूसरे खण्ड लेखक महोदय इस सुझाव पर ध्यान देंगे।

हिन्दी में यह अपने ढंग का एक अनूठा किन्तु उपयोगी प्रयास है। लेखकों ने इस प्रकार की पुस्तक तैयार करके एक बड़े अभाव की पूर्ति की है। अतः लेखक महानुभाव धन्यवाद के अधिकारी हैं।

हिन्दी पाठकों के दृष्टिकोण से पुस्तक का मूल्य अधिक जान पड़ता है, किन्तु लेखक के परिश्रम को देखते हुए पुस्तक की उपयोगिता को ध्यान में रख कर यह मूल्य कुछ अधिक नहीं है।

छपाई-सफाई उत्तम है किन्तु कहीं-कहीं मुद्रण की कुछ भूलें खटकती हैं। वैसे पुस्तक संग्रहणीय है। **गंगाशरण शास्त्री**

मुट्ठी भर धूल —लेखक : मनोहर लाल उनियाल 'श्रीमन'; प्रकाशक : साधना सदन, देहरादून; मूल्य : दो रुपए; पृष्ठ संख्या : 72।

हर बार मैं सीधा गुजर आता था 'श्रीमन्' की कविताओं से। कहीं अटक नहीं पाता था। मेरा विचार था कि 'श्रीमन्' शायद प्रकृति प्रेम के प्रति अति आग्रह से छायावाद को वापस बुलाना चाह रहे है। भूमिका 'नई कविता' से बुरी तरह नाक भौं सिकोड़ रही थी। यही कारण था संग्रह को मैं एक बार सरसरी तौर से पलट गया। पर लगा कहीं कुछ ऐसा है जो फिर वापस बुला रहा है, एक बार और गुजरने के लिए।

अन्यथा न लिया जाए, तो मैं कहूंगा कि 'श्रीमन्' की ये कविताएं बिलकुल नई कविताएं हैं। उनका कुछ भी पुराना नहीं है : शिल्प, भाव, विचार और यहां तक कि कवि स्वयं भी। बाद के दिनों में पंतजी और निरालाजी ने छायावाद छोड़कर उत्तर मार्ग अपना लिए थे। 'श्रीमन्' ने तो छायावाद में ही उत्तर मार्ग ढूंढ निकाले हैं :

सम्पूर्ण संसार को, अपने में समेटे
विराट का हतप्रभ अस्तित्व, व्यक्त करता है।

वही छायावाद प्रकृति से हटकर अब संसार में आ गया है। विज्ञान के साथ साथ :

जन कोलाहल में, खोई हुई मेरी आवाज
मुझे नहीं मिली,
मेरे गीत का एकान्त वासी मौन
अब तुम्हारे हृदय के, गर्भ में ही मुखर होगा।

[शेष पृष्ठ 34 पर

केन्द्र के समाचार

ट्रैक्टरों के आयात पर छूट

देश में ट्रैक्टरों की आवश्यकता को देखते हुए किसानों को अपने उपयोग के लिए विदेशों से मिले खेती के ट्रैक्टरों के आयात के लिए छूट की अवधि कुछ समय के लिए बढ़ा दी गई है। यह परियोजना 1968 में लागू की गई थी और इसे 31 मार्च, 1973 तक बढ़ा दिया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत एक व्यक्ति उपहार में मिले एक ट्रैक्टर के आयात के लिए आवेदन दे सकता है और विदेशों में उपहार देने वाला भी सिर्फ एक ट्रैक्टर भेज सकता है। इसके अन्तर्गत 8 कम्पनियों के ट्रैक्टरों का आयात किया जा सकता है। लेकिन पुराने, मरम्मत किए हुए या डिस्पोजल के ट्रैक्टरों को आयात करने की छूट नहीं है। इस परियोजना के अन्तर्गत उपहार देने वाला ट्रैक्टर के साथ साथ सूची में दिए गए कृषि के उपकरण और थोड़े से पुर्जे भी दे सकता है।

200 करोड़ रुपये का निर्यात

अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 200 करोड़ रु० का दस्तकारी का सामान निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। दस्तकारी मण्डल स्वाधीनता की 25 वीं वर्ष-गांठ के असर पर चुने हुए दस्तकारों को विशेष पुरस्कार देगा। मण्डल एशियाई मेले में भी भाग लेगा और इसी अवसर पर ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार के रूप में दस-दस हजार रुपये के 25 पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कृत कला कृति देश भर में दिखाई जाएगी।

परिवार नियोजन पुरस्कार

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय ने परिवार नियोजन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देने की योजना इस वर्ष भी जारी रखने का निश्चय किया है।

प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार (कर्वे पुरस्कार) परिवार नियोजन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले राज्य को मिलेगा। द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी होंगे। इसी प्रकार श्रेष्ठ कार्य करने वाले केन्द्रशासित प्रदेश को भी पुरस्कार दिया जाएगा। सर्वाधिक लूप लगाने वाले राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश को एक एक पुरस्कार दिया जाएगा।

क्षेत्रीय रेलों तथा रक्षा मन्त्रालय की कमानों में से भी श्रेष्ठ कार्य करने वाले क्षेत्रीय रेलवे और कमान को पुरस्कार दिए जाएंगे। तीन पुरस्कार स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संचालित परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए होंगे। 4 पुरस्कार औद्योगिक कारखानों के परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए निश्चित किए गए हैं।

सबसे अच्छा काम करने वाले सवन जिले के लिए 15,000 रुपये का नकद पुरस्कार तथा सबसे अच्छा काम करने वाले गैर सवन जिले के लिए 15,000 रुपये तथा 10,000 रुपये के दो पुरस्कार होंगे।

परिवार नियोजन के काम में श्रेष्ठता के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 10,000 रुपये और 5,000 रुपये के तीन पुरस्कार निश्चित किए गए हैं। इसी प्रकार अच्छा काम करने वाली पंचायतों के लिए पांच, तीन और दो हजार के तीन पुरस्कार हैं।

जीव चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसन्धान करने के लिए 5,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

बागानों और खानों के क्षेत्रों में परिवार नियोजन का काम करने वाले केन्द्रों और संस्थाओं को तीन-तीन पुरस्कार देने का निश्चय किया है। परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्रों, शव परीक्षा संस्थानों, नागरिक केन्द्रों, नगर निगमों, नगरपालिकाओं, छावनी बोर्डों, व्यापारिक संगठनों तथा मजदूर संगठनों को भी परिवार नियोजन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा।

एक हजार कारखाने

पश्चिम बंगाल सरकार और लघु उद्योग सेवा संस्थान के सामूहिक प्रयत्नों द्वारा पश्चिम बंगाल में अक्टूबर, 1971 से अप्रैल, 1972 तक के सात महीनों की अवधि में छोटे पैमाने के 779 नए कारखाने लगाए गए। इन कारखानों पर 3 करोड़ 9 लाख रुपये खर्च हुए और इनमें 7,725 व्यक्तियों को रोजगार मिला।

नए कारखानों में 422 कारखाने मैकेनिकल, 263 कारखाने रासायनिक, 80 कारखाने धातु की गढ़ाई आदि और 80 हौजरी के कारखाने, 68 कारखाने चीनी मिट्टी का समान बनाने वाले, 57 कारखाने बिजली का समान बनाने वाले और 27 कारखाने चमड़ का सामान बनाने वाले हैं।

उद्योगों के लिए वित्त सहायता

पिछड़े इलाकों में उद्योगों के विकास के लिए शुरू की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता योजना और अधिक इलाकों में लागू की गई है। अब औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में दो के बजाय छः जिलों/क्षेत्रों और अन्य राज्यों में एक के स्थान पर तीन क्षेत्रों में यह सुविधा दी जाएगी। योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में लगाए जाने वाले कारखाने पर होने वाले खर्च का दस

प्रतिशत भाग वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है।

केन्द्रीय सरकार ने पिछड़े इलाकों के विकास और उनमें निजी क्षेत्र में कारखाने स्थापित करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए 1970-71 में यह योजना शुरू की थी। अब तक 44 जिले इस योजना के अन्तर्गत चुने गए है और अब योजना अधिक क्षेत्रों में लागू करने से काफी इलाका इस योजना से लाभान्वित होगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण

ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में बनाई गई संसद सदस्यों की समिति ने सिफारिश की है कि राज्य योजनाओं में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निश्चित राशि निर्धारित की जानी चाहिए, जैसा कि तीसरी योजना के दौरान हुआ था। ऐसा करने से राज्य अपने साधनों से गांवों में बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम लागू करेंगे।

1968 में पेश की गई समिति की अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने जुलाई, 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम बनाया। यह निगम गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए राज्यों के बिजली मण्डलों को वित्तीय सहायता देने के लिए बनाया गया था। समिति ने हाल ही में सिंचाई और बिजली मन्त्री डा० के० एल० राव को अन्तिम रिपोर्ट पेश कर दी है।

समिति ने योजना आयोग द्वारा सहायता देने की पद्धति बदलने की सिफारिश करने के अलावा राज्य बिजली मण्डलों के तकनीकी संगठनों को मजबूत करने और योजनाएं लागू करते हुए कृषि, सिंचाई, बिजली तथा उद्योग से सम्बद्ध विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने की मांग की है।

पिछड़े इलाकों की ओर विशेष ध्यान देने पर बल देते हुए समिति ने कहा है कि अल्यूमिनियम, इस्पात, सीमेंट आदि वस्तुओं तथा उपयुक्त वित्तीय आयोजन का अभाव इन इलाकों के विद्युतीकरण की धीमी गति का कारण है। समिति ने सिफारिश की है कि इसके लिए निगम को विशेष विभाग बनाना चाहिए। समिति ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के लिए चौथी योजना में 150 करोड़ रुपये के बजाए 260 करोड़ रुपये निर्धारित करने की सिफारिश की है।

समिति ने उन गांवों के, जहां बिजली पहुंच चुकी है, निकट की हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाने की विशेष योजना तैयार करने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि इस योजना के अन्तर्गत रियायती दरों पर ऋण देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए।

अण्डों का सुरक्षण

केन्द्रीय खाद्य, औद्योगिकी अनुसन्धान संस्थान, मैसूर में एक ऐसी नई तकनीक विकसित कर ली गई है जिससे शीत भण्डार में रखे अण्डों को और भी अधिक समय तक अन्य उपायों द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है।

इस तकनीक के अनुसार ताजे अण्डों को पैट्रोलियम से उपचारित किया जाता है। उपचारण में उचित परिरक्षक मिश्रित रहते हैं। अण्डों को शुष्क करने के उपरान्त डिब्बों में भर लिया जाता है।

इस सम्पूर्ण क्रिया में लगभग दो घण्टे लगते हैं। ऐसे अण्डों को लगभग चार सप्ताह तक सामान्य ताप पर बिना हानि सुरक्षित रखा जा सकता है। इस क्रिया में सामान्य उपकरण प्रयुक्त होते हैं।

साहित्य समीक्षा.....[पृष्ठ 32 का शेषांश]

पंत जी को मौन निमन्त्रण देने वाली रहस्यमयी प्रकृति में निहित के प्रति 'श्रीमन्' ने पूछा है :

प्यार का मौसम लेकर आने वाली
उदासी छोड़कर
चली जाने वाली
वह कौन थी ?

जब वह प्रकृति में नहीं मिली तो उन्हें इस संसार में लौटा लाई। वही स्वच्छन्दता, वही रहस्यमयी जो प्रकृति में थी, श्रीमन् को इस संसार में मिली। उसी को 'श्रीमन्' ने समेटा है, वही है यह मुट्ठी भर धूल। निश्चय ही यह रुक नहीं सकती। मुट्ठी में, फिसल फिसल जाती है। पर चाहने पर भी पूरी धूल मुट्ठी में नहीं निकलती। मुट्ठी खोलने पर भी। हाथ की लकीरों में उंगलियों के बीच हर स्थान पर धूल जमी रह जाती है :

क्या रह गई है
हमारी दुनिया
मुट्ठी भर धूल के सिवा।

निश्चय ही यह दुनिया से पलायन नहीं है। धूल मुट्ठी को छोड़ नहीं सकती तो कवि कैसे दुनिया के प्रति विरक्त हो सकता है। वह प्रकृति से नाता तोड़कर बाले के बाल जाल में लोचन उलझा लेता है। क्योंकि यह समय का सत्य है।

तुम्हारी उंगलियां
बच्चे के गिर से हटकर
मेरे सिर के बालों में उलझ गई हैं
यह बताने के लिए कि
तुम मुझे कितना प्यार करते हो।

इस युग सत्य की ओर कवि का संकेत इस बात का प्रतीक है कि कवि निश्चय ही इस संसार में जी रहा है। उसका काव्य इसी संसार का काव्य है।

पुस्तक तथा कवि के बारे में कुछ कहने के बाद यदि आवरण चित्र की चर्चा न की जाए तो समीक्षा अधूरी ही रह जाएगी। इसके बारे में इतना कहना ही काफी है कि यह चित्र कविताओं को पहचानने में सबसे अधिक सहायक है—भूमिका तथा स्वयं कविताओं से भी अधिक। चित्रकार 'अवधेश' निश्चय ही बधाई के पात्र हैं।

सुरेश उनियाल

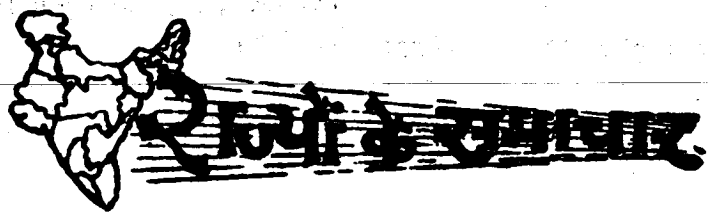

उत्तर प्रदेश

अल्प बचत

राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत 40 करोड़ रुपया जमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गत वर्ष इन योजनाओं में 29 करोड़ रुपया का लक्ष्य था।

जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 1972-73 में जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य के आधार पर तहसीलों, विकास खण्डों, गांव सभाओं, गन्ना समितियों, कारखानों और स्थानीय कार्यालयों के लिए धन संग्रह का लक्ष्य बनाएं।

चकबन्दी निरीक्षण

राज्य सरकार ने चकबन्दी अधिकारियों को हर महीने कम से कम दस दिन गांव-गांव जाकर चकबन्दी कार्य का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। उनसे कहा गया है कि वे चकबन्दी योजना को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के साथ भ्रष्टाचार को दूर करने में तेजी लाएं तथा चकों के निर्माण में कृषकों की गलतफहमियों को दूर करने में भी सहायक हों। अब तक 2,58,73,896 एकड़ भूमि में चकबन्दी का कार्य पूर्ण हो चुका है। 1954 में चकबन्दी योजना को लागू होने के पश्चात् 1972-73 तक 72,055 ग्रामों की 2,74,88,164 एकड़ भूमि की चकबन्दी हो चुकी है।

लघु सिंचाई कार्य

राज्य सरकार ने कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डलों के किसानों को निजी लघु सिंचाई कार्यों के लिए ऋण प्रदान करने हेतु "अधिक अन्न उपजाओ" कार्यक्रम के अन्तर्गत 23.70 लाख रुपये चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किए हैं। इस धनराशि में से पांच लाख रुपये नैनीताल, चार लाख रुपये अलमोड़ा, 4.05 लाख रुपये टेहरी गढ़वाल तथा 2.30 लाख रुपये गढ़वाल में वितरित किए जाएंगे।

मध्य प्रदेश

नए कृषि प्रक्षेत्र

राज्य में चार और कृषि बीज प्रगुणन व प्रदर्शन प्रक्षेत्र शीघ्र ही खोले जा रहे हैं। ये नए प्रक्षेत्र खण्डवा जिले में बसवाड़ी, बालाघाट में पिपरझिरी, नरसिंहपुर, राघवनगर तथा ग्वालियर जिले में उपयुक्त स्थान पर खोले जाएंगे। इनको मिलाकर अब राज्य में ऐसे कृषि प्रक्षेत्रों की कुल संख्या 118 हो जाएगी।

ये नए प्रक्षेत्र कृषि के उन्नत तौर-तरीकों व साधनों का प्रदर्शन करते हैं और जो भी नए बीज, औजार, दवाएं, कृषि विधियां निकाली जाती हैं, उनका स्थानीय तरीकों से परीक्षण भी करते हैं ताकि इस क्षेत्र के लिए उनकी उपयोगिता व लाभ का ठीक-ठीक अनुमान हो सके।

शिक्षा और रोजगार

सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के एक विशेष कार्यक्रम के लिए 204 लाख रुपये रखे हैं। केन्द्र सरकार इसमें मदद के रूप में इतनी ही धनराशि देगी। राज्य सरकार ने छः से ग्यारह वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को 1975-76 तक तथा 11 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों के लिए 1980-81 तक एक समान शिक्षा उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है।

हरिजनों को प्रशिक्षण

राज्य में प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों ने 1971-72 में 500 हरिजन और आदिवासी युवकों को परम्परागत धन्धों का प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त 11 लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन किया है। आलोच्य वर्ष में इन 20 केन्द्रों पर कुल 7.23 लाख रुपये व्यय किए गए जिनमें वह राशि भी शामिल है जो 30 रुपये मासिक की दर से हर शिक्षणार्थी को दी जाती है।

राजस्थान

डेरी विकास कार्यक्रम

राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपये की डेरी विकास योजना बनाई है जिस पर काम शुरू हो गया है और पांचवीं पांचसाला योजना के आखिर तक पूरा हो जाएगा। इनमें चारागाहों के विकास और डेरियां लगाने की योजना है। जोधपुर और बीकानेर में बड़ी डेरियां खोली जाएंगी। जोधपुर डेरी की क्षमता शुरू में 20,000 लिटर प्रतिदिन होगी जिसे बाद में बढ़ाकर 1 लाख लिटर कर दिया जाएगा। राज्य के अन्य भागों में छोटी डेरियां खोली जाएंगी। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचेगा जिसमें पशुपालकों को डेरी सुविधाएं न मिलें।

सहकारी दुग्ध संयन्त्र

राज्य में सहकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले सर्वप्रथम दुग्ध संयन्त्र का, अजमेर के पास खानपुरा गांव में हाल ही में शिलान्यास किया गया।

अजमेर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के अन्तर्गत 40 लाख रुपये की लागत से स्थापित किए जा रहे इस दुग्ध संयन्त्र की दुग्ध पाश्चुराइज करने की प्रारम्भिक क्षमता 50 हजार लिटर दूध प्रतिदिन की होगी जो बाद में बढ़कर एक लाख लिटर प्रतिदिन तक हो सकेगी। संयन्त्र की स्थापना का कार्य लगभग एक वर्ष में पूरा हो जाएगा।

गत दो माह की अवधि में 115 ग्रामीण सहकारी समितियां इस सहकारी संघ की सदस्य बन चुकी हैं तथा उनसे लगभग 40 हजार रुपये की हिस्सा पूंजी भी एकत्रित की जा चुकी है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली 8 प्रस्तावित योजनाओं की शृंखला में यह प्रथम कड़ी है। इस योजना से इस क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों से एक वर्ष में एक करोड़ 30 लाख रुपयों के मूल्य का दूध लिया जाएगा, जिससे उन्हें लगभग 21 लाख रुपये की अतिरिक्त आय होगी। इस योजना के अन्तर्गत एवं कृषि श्रमिक योजना के अन्तर्गत सीमान्त कृषकों को ऋण एवं अनुदान दिया जाएगा।

ग्रामीण छात्रवृत्ति योजना

राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कक्षा 9 से 11 तक के 464 प्रतिभावान् छात्रों के लिए प्रतिवर्ष छात्रवृत्तियां प्रदान करने की एक योजना बनाई है।

योजना के अनुसार राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति के दो छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। जो विद्यार्थी घर पर रहकर शाला में नियमित अध्ययन करेंगे, उनके लिए छात्रवृत्ति की राशि 500 रुपये तथा आवासीय शालाओं में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए 1000 रुपये वार्षिक निर्धारित की गई है।

इस छात्रवृत्ति का लाभ केवल उन छात्र-छात्राओं को मिल सकेगा जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रीय विद्यालय में कम से कम एक सत्र तक कक्षा 8 में अध्ययन किया हो और उसी विद्यालय में मई, 1972 की 8 वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर प्रथम 25 प्रतिशत छात्रों में स्थान प्राप्त किया हो। ऐसे छात्रों को योजना के अन्तर्गत आयोजित एक परीक्षा में भाग लेना होगा। परीक्षा हेतु प्रार्थना-पत्र एवं परीक्षा शुल्क के 2 रुपये विद्यार्थियों को अपने विद्यालय में ही जमा कराने होंगे।

पंजाब

आदर्श गांव

मोगा सब-डिवीजन का साप्पू वाला गांव एक आदर्श गांव है। वहां सन् 1952 से अब तक ग्राम पंचायत के चुनाव निर्विरोध होते आए हैं।

इस गांव ने इस बार भी अपनी इस परम्परा को कायम रखा और केवल उतने ही उम्मीदवारों के नामांकन पत्र आए, जितने स्थान हैं। वहां सरपंच समेत कुल 8 स्थानों पर चुनाव लड़ा जाता था पर केवल 8 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र आए। अतः गांव में चुनाव कराना अनावश्यक समझा गया। इस गांव की कुल आबादी 2500 है।

हरियाणा

अधिक दूध देने वाली गाय

राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान, करनाल ने 'करन-स्विस' नामक ऐसी गाय का विकास किया है जो प्रति वर्ष 3,500 लिटर दूध देती है। यह देश की सबसे बढ़िया गाय की तुलना में 60 फीसदी अधिक है।

नई दिशाएं, नए कदम.....[पृष्ठ 17 का शेषांश]

ऋण प्राप्त कर सकें। अभी कई परियोजना क्षेत्रों में प्राथमिक समितियों को सबल बनाना शेष है। केन्द्रीय सरकार और रिजर्व बैंक के बीच विभिन्न स्तर पर हुई बातचीत के परिणामस्वरूप लघु कृषक विकास एजेन्सी या सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक परियोजनाओं के सन्दर्भ में हिस्सा पूंजी के मामले में सहकारियों से सम्बन्धित नियमों में काफी ढील दे दी गई है।

लघु कृषक विकास एजेन्सी क्षेत्रों में कुल स्वीकृत 12.13 लाख छोटे किसानों में से 5.02 लाख तथा सीमान्त कृषक और कृषि मजदूर क्षेत्रों में कुल स्वीकृत 6.15 लाख सीमान्त कृषकों और मजदूरों में से 1.1 लाख सीमान्त कृषक और कृषि मजदूर अब तक सहकारी समितियों के सदस्य बने हैं। ये कार्यक्रम सहकारियों पर ही निर्भर करते हैं, अतः अधिक से अधिक कृषकों को सहकारियों का सदस्य बनना होगा।

जनवरी, 1972 के अन्त तक लघु विकास एजेन्सी क्षेत्रों में 12.64 करोड़ रुपए के अल्पावधि ऋण, 1.4 करोड़ रुपए के मध्यावधि ऋण और 4.96 करोड़ रुपए के दीर्घावधि ऋण दिए गए थे। जबकि सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिकों के क्षेत्रों में ये ऋण क्रमशः 1.45 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए और 26 लाख रुपए थे।

कृषि पण्डित श्री भाभाभाई

अखिल भारतीय रबी गेहूं फसल प्रतियोगिता 1971-72 में प्रथम आने पर गुजरात में अमरेली जिले के कोडीनाड ताल्लुका में नवागांव के श्री भाभाभाई मण्डनभाई परमार को कृषि पण्डित की उपाधि से विभूषित किया गया है। प्रतियोगिता में उनका पहला नम्बर था। उन्होंने अपने एक खेत में कल्याण सोना गेहूं की प्रति हैक्टर 7599.76 किलोग्राम पैदावार ली थी।

श्री परमार ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं पर कृषि के बारे में उनकी जानकारी बड़े कमाल की है। वे कृषि के लिए नई कृषि विधियां काम में लाते हैं। उनके पास 21 एकड़ जमीन है जिसमें 14 एकड़ सिंचाई वाली है। अपनी खेती में वे सुधरे हुए यन्त्रों का प्रयोग करते हैं।

श्री विनोद चन्द्र पटेल ट्रैक्टर चलाते हुए

कृषि पण्डित श्री भाभाभाई अपने खेत में काम करते हुए

अखिल भारतीय गेहूं फसल प्रतियोगिता में गुजरात के पालनपुर जिले के जेठी गांव के श्री विनोद चन्द्र चतुरभाई पटेल को दूसरा स्थान मिला था और उन्होंने प्रति एकड़ 977.8 किलोग्राम गेहूं की उपज ली। श्री विनोद चन्द्र पटेल पुलिस विभाग में काम करते थे। पर वे अपने पिता श्री चतुरभाई पटेल के आदेश पर नौकरी छोड़कर अपनी खेती के काम में लग गए। उनके पास 58.32 एकड़ जमीन है। श्री पटेल ने अपनी खेती में अनेक परीक्षण किए हैं और उनसे दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया है। जिला स्तर पर उन्होंने गत दो वर्षों की अवधि में अपनी गेहूं की खेती में सबसे अधिक पैदावार ली है।

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, चित्र, फोटो आदि भेजिए। भाषा सरल हो और रचना का आकार 'कुरुक्षेत्र' के ढाई पृष्ठ से अधिक न हो।

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने या पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार सम्पादक 'कुरुक्षेत्र' (हिन्दी), खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1 द्वारा प्रकाशित तथा गंगा प्रिंटिंग प्रैस, सदर बाजार, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित।

Regd No. D-28

केरल राज्य के चालाकुड़ी विकास खण्ड में काडुकुट्टि गांव की बालवाड़ी में प्रार्थना करते हुए बच्चे